अध्याय 4

विदेशी क्षेत्रक आयाम

4.1 दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित वृद्धि दर में तेजी, बाजारों, निवेशों और प्रौद्योगिकियों के अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्याय 2 में जिन वृहत आर्थिक उपायों की चर्चा की गई है, उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि मांग संबंधी बाधाओं के लिए जिनसे भारतीय उद्योग ग्रस्त है, मांग के विदेशी स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यदि विकास अवसरों का पूरा लाभ उठाया जाना है। संप्रति, संसाधन संबंधी आवश्यकताओं और कार्यकुशलता संवर्धन के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में विदेशी नीतियों और प्रौद्योगिकियों का प्रवाह सम्मिलित है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आप्रवाह को, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, देश में निगमित उद्यमी कार्यकलाप का स्तर ऊंचा उठाने में एक महत्वपूर्ण घटक विनिर्धारित करता है। इस प्रकार, संवृद्धि तेजी के लिए मांग और आपूर्ति दोनों ही विगत की तुलना में वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ पर्याप्त रूप से अधिक मात्रा में तालमेल की मांग करती है। किन्तु ऐसा करने में कमजोरियों का पता लगाना होगा और उनका समाधान करना होगा।

4.2 वैश्वीकरण और उदारीकरण की दोनों प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक नई पद्धति को रूप दे रही है, जिसमें निवेश, उत्पादन और व्यापार की बदलती पद्धति, वित्त की वैश्विक स्थिति और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती हुई अन्योन्यक्रिया के कारोबार और संचार की लागत में समग्र कटौती द्वारा सुकर बनने की उम्मीद है। विश्व अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की तेज गति से विकास और संवृद्धि के अवसरों में वृद्धि हुई है, किन्तु इससे विश्व नीतिगत पहलों की गति और दिशा को प्रभावित करने के लिए विकासशील देशों की योग्यता अभी भी कमजोर है जबकि प्रमुख विकसित देशों और विशेष रूप से प्रमुख बाजार संस्थाओं द्वारा लिए गए आर्थिक नीतिगत निर्णय के संबंध में उनकी कमजोरी में वृद्धि हुई है।

4.3 व्यापार, निवेश, धन और वित्त, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, वस्तु बाजार और पर्यावरण के बीच अंतर-संयोजनों ने निःसेदंह नीति-निर्माण को और अधिक जटिल बना दिया है। कमजोर वस्तु बाजारों, समुद्रपारीय विकास सहायता (ओडीए) में कमी, भारी ऋण बोझ, पूंजीगत प्रवाह में अनिश्चितताओं और प्रौद्योगिकी अंतरण की ऊंची लागतों पर प्रतिबंधों की वजह से समस्या और भी गंभीर हो गई है। वैश्वीकरण से लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत जैसे विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रारूप की पुनर्संरचना में अपने आपको सक्रिय रूप से लगाने की जरूरत होगी। अन्यत्र लिए गए निर्णयों के प्रति निष्क्रियतापूर्व स्वीकृति और पुनः सक्रिय समायोजनों व अन्य आधार पर्याप्त नहीं होंगे। भारत, महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों, विशेष रूप से विकासशील देशों के संपर्क में ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। किन्तु कार्यक्षेत्र में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से देशज सिविल सोसायटी और वाणिज्यिक हित की बातों को न केवल हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में स्थान प्राप्त होना चाहिए बल्कि उन्हें हमारे मत निर्धारित करने की प्रक्रिया में एक प्रमुख अभिनेता का स्थान प्राप्त होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसी भागीदारी प्राप्त करने के लिए संस्थात्मक पद्धति, हाल ही के वर्षों में काफी प्रगति के बावजूद अभी भी कमजोर है। निरंकुश मनोवृत्ति हमारे निजी क्षेत्रक में सरकार से भी ज्यादा प्रभावित हुई प्रतीत होती है। उम्मीद की जाती है कि तात्कालिक भविष्य के संबध में पूर्वानुमान निजी क्षेत्र के नीति-निर्माताओं को आश्वस्त करेंगे कि प्रबुद्ध स्वहित से केवल सरकार के साथ बातचीत ही नहीं बल्कि अनुसंधान और परस्पर विचार-विमर्श में संसाधनों का निवेश भी प्रभावित होता है।

4.4 हमारे आर्थिक संबंधों को अधिशासित करने वाली संस्थात्मक पद्धतियों में सुधार करने और उनके पुनर्गठन के महत्व पर बल देने की ckr dkb vfr';kfDr नहीं है। एक रक्षात्मक और यथास्थिति बनाए रखने की बजाए और अधिक आक्रामक तथा क्रियाशील स्थिति कायम करनी होगी। ऐसा व्यापार और निवेश से संबंधित एजेंसियों, जिनमें निजी क्षेत्र की एजेंसियां तथा हमारे विदेशी संबंधों से जुड़ी एजेंसियां भी शामिल हैं

के बीच घनिष्ठ विचार-विमर्श के बिना नहीं किया जा सकता। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को राजनय का मात्र हस्त-अप्रयुक्त नहीं समझा जा सकता। इसके विपरीत, वास्तव में राजनय को आज देश के वाणिज्यिक हितों को समर्थन प्रदान और सेवा करनी चाहिए। निःसंदेह ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जबकि राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए राजनीतिक कार्यसूची में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4.5 इस अध्याय में पहले उभरते विश्व संदर्भ में देश के सामने प्रस्तुत विदेशी आर्थिक स्थिति की जांच की गई है। बाद में भुगतान शेष की स्थिति,व्यापार और टैरिफ नीति तथा महत्वपूर्ण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया है। समग्र स्थिति के आधार पर,दसवीं योजना अवधि के लिए विभिन्न परिदृश्यों में भुगतान शेष से संबंधित विभिन्न आयामों के पूर्वानुमानों के बारे में भी इस अध्याय में विचार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हाल की घटनाएं

4.6 नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की आचरणात्मक पद्धति को,विशेष रूप से भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। इनमें 1997-98 का पूर्व एशियाई संकट,1999-2000 के बाद से विश्व भर में मंदी और 11 सितम्बर, 2001 की घटना सम्मिलित है। इनमें से कुछेक का उल्लेख इस खंड में किया गया है।

(क) पूर्व-एशियाई संकट

4.7 नौवीं पंचवर्षीय योजना से पहले, पूर्व एशियाई देशों की परिकल्पना आर्थिक विकास के अग्रदूत के रूप में की गई थी। उनके निष्पादन को पूर्व एशियाई चमत्कार कहा गया था। तथापि, 1997 में परिदृश्य बदल गया है जबकि वित्तीय तथा निगमित क्षेत्रक कमजोरियों ने, वृहत-आर्थिक कमजोरियों के साथ मिलकर,संकट को जन्म दिया। कमजोरियों की व्याख्या वित्तीय संस्थानों को अनेक विदेशी धमकियां प्रकटन के रूप में की जा सकती है जिनमें परिसंपत्ति मूल्यों में गिरावट, बाजार संक्रमण, सट्टेबाजी आक्रमण और पूंजी प्रवाहों का प्रत्यागमन सम्मिलित है। औपचारिक और अनौपचारिक मुद्रा पैगों ने, जिन्होंने उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को हतोत्साहित किया, समस्या में योग दिया। पूंजी आप्रवाहों ने, क्रेडिट की कोटि को कम करते हुए, तीव्र क्रेडिट विस्तार में मदद की जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई। पूंजीगत अन्तर्वाह से त्वरित विस्तार में मदद मिली जबकि ऋण की गुणवत्ता में कमी आई और परिणामतः परिसंपत्ति स्फीतिकरण हुआ। स्फीत परिसंपत्ति कीमतों ने,प्रायः साप्ताहिक पर्यवेक्षित बैंक-भिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए उधारों ने और पूंजी अन्तर्वाहों को प्रोत्साहित किया। उच्च लीवर-युक्त निगमित क्षेत्रकों तथा बड़े असीमित अल्पावधि ऋण ने संकटग्रस्त देशों को सामान्य रूप से बाजार भावनाओं में ओर विशेष रूप से विनिमय दर परिवर्तनों के प्रति कमजोर बना दिया।

4.8 संकट से निपटने के लिए प्रारंभिक प्राथमिकताएं वित्तीय पद्धति को स्थिर करने तथा आर्थिक प्रबंधन में विश्वास पुनः बहाल करने की थीं। बैंक रनों को रोकने, अदायगी पद्धति को बचाने,केंद्रीय बैंक नकदी समर्थन को सीमित करने,क्रेडिट प्रवाहों में विकृतियों को कम से कम करने,मौद्रिक नियंत्रण बनाए रखने और पूंजी के बाह्यप्रवाहों को रोकने के लिए जबरदस्त उपाय करने की जरूरत थी। संकटग्रस्त देशों में अबाध गारंटियों और बैंक समापन जैसे आपातिक उपाय लागू किए जाने के साथ-साथ व्यापक बैंक पुनर्रचना कार्यक्रम किए गए और उन्हें बृहत-आर्थिक स्थिरीकरण नीतियों से समर्थित किया गया।

4.9 भारत संक्रमण से बच सका क्योंकि हमारे विदेश क्षेत्रक का प्रबंधन, भुगतान शेष संबंधी उच्च स्तरीय समिति (रंगानाथन समिति)द्वारा संकेतित प्राचलों द्वारा अधिशासित था,

बाक्स 4.1

एशियाई संकट से अनुभव

- यदि विनिमय दर एक लम्बी समयावधि के संबध में मूलभूत सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाए तो कोई भी मुद्रा सट्टेकारी दबाव में आ सकती है।
- एक बार किसी मुद्रा के सट्टेबाजी के दबाव में आ जाने पर, निकटवर्ती देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, भले ही उनकी नीतियां कितनी सुदृढ़ हैं।
- जब मुद्रा पर दबाव बढ़ जाए तो मुद्रा का अधिमूल्य,एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सभी बाजार पणधारी इस जानकारी पर अपना कार्य करते हैं कि मुद्रा में सुधार होने वाला है।

जैसे कि शिथिलनीय विनिमय दर, संधारणीय चालू खाता घाटा, ऋण-भिन्न सृजक संसाधन प्रवाहों को प्राथमिकता,मात्रा के संबंध में सीमाएं,विदेशी ऋण का उपयोग और लागत तथा अल्पावधिक ऋण के संबंध में उच्च प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण।

4.10 चूंकि सक्षम बाजार सदा ही सट्टेकारी कार्यकलापों पर काबू नहीं पा सकते इसलिए देशज और विदेशी मोर्चे पर आर्थिक प्राचलों के निष्पादन के संबंध में सदैव निगरानी रखने की आवश्यकता है। सक्षम सूक्ष्म और वृहत-आर्थिक प्रबंधन पारदर्शिता,एक उपयुक्त विनियामक रूपरेखा तैयार करना, और बाजार में हलचल होने के मामले में प्रभावी तथा समय पर सरकार का हस्तक्षेप, भारत में ऐसे संकट के पैदा होने तथा प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक उपाय हैं।

(ख) वैश्विक मंदी

4.11 जब पूर्व एशियाई संकट का समाधान किया जा रहा था, तब अमरीका में मंदी, जापान में पुनरूद्धार अवरूद्ध होने और यूरोप तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कारण विश्व विकास की संभावनाएं काफी कम हो गईं। विश्व उत्पादन की वृद्धि दर जो 1999 में 3.6 प्रतिशत थी, 2000 में बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई। किन्तु 2001 में घटकर लगभग 2.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2002 तथा 2003 के संबंध में पूर्वानुमान क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत है (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, सितम्बर, 2002)।

4.12 विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में,निम्नलिखित टिप्पणियां नोट करने योग्य हैं :

- धीमी विश्व संवृद्धि के परिवेश में,वस्तु कीमतें गिर सकती हैं । तेल की कीमतें अपने 2000 के ऊंचे स्तर से वापस आ गई हैं यद्यपि उनकी अस्थिरता चिन्ता का एक कारण बनी हुई है और पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन (ओपेक) के उत्पादन निर्णयों पर निर्भर करती हैं, यद्यपि जोखिम कुछ कम हो सकता है।
- ईंधन-भिन्न कीमतों के मोटे तौर पर अपरिवर्तित बने रहने की उम्मीद है ; किन्तु यदि विश्व मांग में अपेक्षा से अधिक कमी आती है तो कीमतों में कमी आ सकती है, जो वस्तु उत्पादकों पर,जिनमें बहुत से गरीब देश शामिल हैं, विपरीत प्रभाव डाल सकती है।
- तेल की कीमतों में कमी आने और मजूदरी वृद्धि साधारण रहने की संभावना से,मुद्रास्फीति स्तर संभवतः स्थिर रहेंगे। इससे बहुत से देशों में राजकोषीय घट-बढ़ हो सकती है।
- यद्यपि अनेक देशों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथापि उभरते बाजारों में विदेशी और वित्तीय संवेदनशीलताओं में 1997-98 संकट के बाद से सामान्यतः कमी आई है,और नरम विनिमय दर पैग में बदलाव से विदेशी दबावों के प्रबंधन की उनकी योग्यता में सुधार आया है।
- विगत अनेक वर्षों के दौरान अमरीकी अर्थव्यवस्था में दृढ़ विस्तार, अन्यत्र कमजोर मांग के बावजूद विश्व कार्यकलाप को स्थिर करने में महत्वपूर्ण रहा है। दुर्भाग्यवश,जापान में पुनरुद्धार अवरूद्ध होने से और इसकी संभाव्य क्षमता फिर भी साधारण होने की वजह से अमरीका में वर्तमान मंदी संभवतः अन्यत्र ऊंची मांग वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो जाएगी। इन परिस्थितियों में, वित्तीय बाजार और विश्वास प्रभावों के जरिए अन्य देशों तक इसके फैलने का जोखिम अधिक होगा।
- इस बात को देखते हुए कि तीव्र विस्तार की अवधियों में वित्तीय जोखिम कम आंके जाने की प्रवृत्ति होती है, निम्न वृद्धि से वित्तीय बाजारों की कमजोरी का पता चल सकता है। इसके अलावा,निगमित लाभ वृद्धि की उम्मीदों की तुलना में नीचे की ओर संशोधन से अमरीका व अन्यत्र इक्विटी बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है जिसका संपदा, निवेश, विश्वास और जोखिम से बचने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- उभरते बाजारों में,संभावनाएं क्रांतिक रूप से निवेशक का विश्वास बनाए रखने पर निर्भर करती हैं। विदेश वित्त पोषण स्थितियों में हाल ही में गिरावट आई है। विश्व दृष्टिकोण और कुछ उभरते बाजारों वाले देशों में आर्थिक कठिनाइयां बने रहने को देखते हुए आने वाले समय में अर्थव्यवस्था संभवतः अस्थिर बनी रहेगी। इससे विवेकपूर्ण वृहत आर्थिक नीतियों को बनाए रखने और निगमित,वित्तीय तथा संस्थात्मक सुधारों पर बल देने की जरूरत उभरती है।

(ग) 11 सितम्बर, 2001 पश्चात स्थिति

4.13 11 सितम्बर, 2001 से पहले भी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही थी। अमरीका में, वृद्धि

दर घटकर लगभग शून्य हो गई थी जिसका कारण खपत वृद्धि कमजोर पड़ना, घटता निवेश और घटते आयात और साथ ही घटती विनिर्माण क्षेत्रक वृद्धि थी। जापान में अपस्फीतिकारी दबाव देखा गया और यूरोप की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट देखी गई। 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं ने विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिरता बिन्दु तक प्रभावित किया और जब इसके पास कम संकट रोधी (बफर्स) उपाय रह गए और नए दबाव सहने की इसकी नम्यता संदेहास्पद हो गई। परिणामास्वरूप, विश्व व्यापार वृद्धि जो 2000 में 12.6 प्रतिशत थी, 2001 में (-) 0.1 प्रतिशत और 2002 में 2.1 प्रतिशत और 2003 में 6.1 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, सितम्बर, 2002)।

4.14 जहां तक भारत का संबंध है, 11 सितम्बर के बाद की घटनाओं ने कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्रकों पर विपरीत प्रभाव डाला। नास्कोम ने पहले साफ्टवेयर निर्यात में 2001-2002 में 52 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था किन्तु वास्तविक दर वर्ष के दौरान केवल 13 प्रतिशत तक कम रह गई। नागर विमानन क्षेत्रक पर भी प्रभाव पड़ा ; मांग में गिरावट के अलावा, बीमा लागतों में वृद्धि के कारण प्रचालन लागतें बढ़ गई हैं। भारत का पर्यटन उद्योग, जो प्रतिवर्ष 2.6 मिलियन पर्यटकों की सेवा करता है, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। धन-प्रेषणों के प्रवाह में भी 2001-2002 के दौरान कमी आई।

4.15 11 सितम्बर के बाद प्रतिकूल विदेशी घटनाओं और भारत के वित्तीय बाजारों पर उनके प्रभाव के कारण बाजारों के लिए समुचित नकदी और समग्र सहायता की व्यवस्था करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी हो गई। देशज वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सुनिश्चित किया कि पर्याप्त नकदी के साथ ब्याज दरों को स्थिर रखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसी असामान्य आपूर्ति-मांग अंतर का सामना करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, विदेशी मुद्रा के विक्रय/क्रय का भी काम किया। सरकारी प्रतिभूति बाजार में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नीलामी आधार पर चुनिन्दा सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में एक क्रय खिड़की खोली। भारतीय कंपनियों को विदेशी संस्थात्मक निवेश (एफआईआई) सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई। छः चुनिन्दा उत्पादों के संबध में बड़ी कीमत के निर्यातों के संबंध में एक विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धात्मक थे और जिनकी मूल्य अभिवृद्धि अधिक थी।

4.16 उपरोक्त उपायों का संभावित अफरा-तफरी प्रतिक्रियाओं को सामान्य बनाने तथा वित्तीय बाजारों में, विशेष रूप से मुद्रा, विदेशी विनिमय और सरकारी प्रतिभूति बाजारों में, अस्थिरता को कम करने में वांछित प्रभाव पड़ा। यद्यपि वित्तीय बाजार सामान्यतः स्थिर हैं, नकदी पर्याप्त है और ब्याज दर परिवेश अभी तक अनुकूल है, तथापि औद्योगिक उत्पादन का परिणाम सीमित रहा है। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। उम्मीद है कि जैसे ही कुछ समय के बाद विश्व बाजारों में फिर से तेजी आती है, जब इसका भारत में निवेश परिवेश पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

4.17 तथापि, अनेक अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्थाओं U अनेक अवसर खोल दिए हैं जिनका दोहन किया जाना चाहिए। अमरीका में ब्याज दरों में अनेक बार कटौती की गई है जिससे ब्याज भार को कम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अधिक क्षमता वस्तुतः विश्वभर में प्रत्येक पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में विद्यमान है जिसका अर्थ है कि मशीनों और उपस्कर का आयात सौदेबाजी की कीमतों पर किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में भारत के लिए अधिक एफडीआई आकर्षित करना संभव हो सकता है। भारतीय बहुराष्ट्रीय के लिए यह समय है कि वे सस्ती विश्व अधिप्राप्तियों की उम्मीद कर सकें। यूएस कंपनियों द्वारा लागत कम करने के उपायों को अपनाने से वे आउटसोर्सिंग का मार्ग भी अपना सकते हैं जिसकी वजह से सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवा क्षेत्र, जैसे कि काल केंद्रों, बैंक आफिस आप्रेशनों, ट्रांसक्रिप्शनों, पेरोल, अकाउंटिंग सेवाओं आदि को बढ़ावा मिलेगा।

विदेशी क्षेत्रक की स्थिति

4.18 नौवीं योजना अवधि के दौरान भारत की भुगतान शेष स्थिति अधिकांशतः संतोषजनक बनी रही। चालू खाते का घाटा कम हो गया और यह सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 0.8 प्रतिशत था, जो योजना में परिकल्पित 2.1 प्रतिशत के आधे से भी कम था। नौवीं योजना अवधि के दौरान डॉलर की दृष्टि से निर्यात में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य था। इसी अवधि के दौरान आयात वृद्धि 3.3 प्रतिशत रही जबकि लक्ष्य 10.8 प्रतिशत का था। देश ने 1997-98 के पूर्व एशियाई संकट और हाल ही की विश्व मंदी का सामना किया है। अदृश्य प्राप्तियां उत्प्लावक रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडारों में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो मार्च, 2002 के अंत तक लगभग 54 बिलियन अमरीकी डॉलर है। अमरीकी डॉलर की दृष्टि से भारतीय रुपए की विनिमय दर में 6 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) की दृष्टि

से रुपए के विदेशी मूल्य में मामूली सी वृद्धि हुई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह में वृद्धि हुई है किन्तु विदेशी संस्थात्मक निवेशों में कमी आई है। विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतकों में विदेशी ऋण के बेहतर प्रबंधन के फलस्वरूप काफी सुधार हुआ है। इनमें से कुछ प्रवृत्तियों के बारे में इस खंड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

निर्यात

4.19 नौवीं योजना में निर्यात में 11.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी, जिसके विपरीत नौवीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक वृद्धि 5.6 प्रतिशत रही (डॉलर के अर्थों मे)। इस असंतोषजनक निष्पादन में भी काफी अस्थिरता रहीं। 1998-99 के दौरान निर्यातों ने 3.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2000-2001 में 19.6 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर्ज की गई। किन्तु 2001-2002 में यह तेजी से घटकर 0.05 प्रतिशत हो गई। नौवीं योजना में यह भी परिकल्पना की गई थी कि निर्यात-जीडीपी अनुपात 10.4 प्रतिशत होगा, किन्तु संभावित परिणाम लगभग 9 प्रतिशत होने की संभावना है।

4.20 वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात की वृद्धि दर में कमी का प्रमुख कारण संरचनात्मक बाधाएं हैं जो मांग और साथ ही, आपूर्ति पक्ष में कार्यरत थीं। विश्व भर में मंदी की प्रवृत्तियों ने हमारे निर्यात की मांग को भी प्रभावित किया। इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार की मात्रा में वर्ष 2001 में 0.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रिकार्ड किए जाने का अनुमान लगाया गया जबकि वर्ष 2000 के दौरान यह वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत थी। ऐसी मंदी और विश्व व्यापार के विरोधाभास की वजह से विकसित देशों द्वारा कुछ क्षेत्रकों में तकनीकी,पर्यावरणीय और सामाजिक स्तरों की बाधाओं के रूप में संरक्षणवादी नीतियों का भी उद्भव हुआ जिससे बाजार सुलभता प्रभावित हुई और हमारे निर्यात में बाधा पहुंची।

4.21 विनियम दर के उतार-चढ़ाव ने भी निर्यात निष्पादन को प्रभावित किया। हमारे निर्यात को बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं : आधारिक तंत्र बाधाएं,उच्च लेनदेन लागत, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण,श्रमिक अनम्यता,निर्यात क्षेत्रक में एफडीआई आकर्षित करने में बाधाएं और उत्पाद गुणवत्ता बनाए रखना।

4.22 नौवीं योजना के दौरान निर्यात के घटकों में परिवर्तन तालिका 4.1 में दर्शाए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि कृषि और संबद्ध उत्पादों का हिस्सा कम होता जा रहा है जबकि अयस्कों और खनिजों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा है। पहले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में वृद्धि हुई किन्तु बाद के दो वर्षों में इसमें कमी आई। 2000-2001 में पेट्रोलियम उत्पादों के हिस्से में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई 2001-02 में भी यही स्थिति रही। यद्यपि,नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्य ने धीरे-धीरे वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संसाधित कृषि उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में न केवल एक संधारणीय भुगतान शेष की स्थिति की दृष्टि से बल्कि इन क्षेत्रकों में पूर्वानुमानित वृद्धि के समर्थन हेतु पर्याप्त समूची मांग की व्यवस्था करने के लिए भी उपयुक्त रूप से वृद्धि की जानी चाहिए।

तालिका 4.1
निर्यात की सामान्य संरचना

क्र.सं.	वस्तु समूह	प्रतिशत हिस्सा				
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	कृषि और संबद्ध उत्पाद	18.9	18.1	15.2	13.5	13.4
2	पिंड और खनिज	3.0	2.7	2.5	2.6	2.8
3	विनिर्मित वस्तुएं	75.8	77.7	80.7	78.0	76.1
4	पेट्रोलियम उत्पाद	1.0	0.3	0.1	4.2	4.9
5	अन्य	1.3	1.2	1.5	1.7	2.8
	जोड़	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : महानिदेशक,वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआईएंडएस)

4.23 इन निर्यातों की दिशा को ध्यान में रखते हुए,यह देखा गया कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों को हमारे निर्यात के हिस्से में कमी आ रही है, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और जापान को हमारे हिस्से में कमी के कारण। अमरीका को निर्यात के हिस्से में वृद्धि हुई है और यही स्थिति ओपेक तथा लातिन अमरीकी देशों के संबंध में है। रूस को निर्यात कम होने की वजह से पूर्वी यूरोप के मामलों में इसमें कमी आई है जबकि अफ्रीका और एशिया के कम विकसित देशों को निर्यात का हिस्सा कुल मिलाकर उसी स्तर पर रहा है। ''अन्य'' देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है और इसमें और वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

आयात

4.24 नौवीं योजना में आयात में 10.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। नौवीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक आयात वृद्धि 3.3 प्रतिशत है (डॉलर की दृष्टि से)। नौवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम तेल और लुब्रीकेन्ट्स (पीओएल) आयात में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पीओएल-भिन्न में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीओएल - भिन्न के संबंध में कम आयात वृद्धि देशज औद्योगिक कार्यकलाप के धीमा होने को प्रदर्शित करती है। नौवीं योजना में यह भी परिकल्पना की गई थी कि आयात-जीडीपी अनुपात 12.2 प्रतिशत होगा। वास्तविक परिणाम लक्षित स्तर के लगभग ही रहा है क्योंकि योजना अवधि के संबंध में औसत 12.66 प्रतिशत बैठता है। आयात में धीमी वृद्धि जीडीपी की कम वृद्धि दर द्वारा स्पष्टतः प्रतिसंतुलित हो गई।

4.25 नौवीं योजना के दौरान आयातों की स्थूल संरचना तालिका 4.2 में देखी जा सकती है। यह देखा जा सकता है कि थोक मदों का हिस्सा बढ़ा है जबकि थोक भिन्न मदों के हिस्सें में कमी आई है। थोक मदों के पीओएल के हिस्से में 2001 तक तेजी से वृद्धि हुई किन्तु यह 2001-2002 में कम हो गई। आयात में थोक खपत वाली वस्तुओं का हिस्सा,जिसमें मुख्यतः खाद्य मद शामिल हैं,देशज मांग के अनुसार घटता-बढ़ता रहा है। रबड़,लुगदी और कागज,काष्ठ और काष्ठ उत्पादों,उर्वरकों, धातु संबंधी अयस्कों और धातु स्क्रैप,अलौह धातुओं और लौह तथा इस्पात जैसी अन्य थोक मदों के आयात के हिस्से में 2000-2001 तक कमी आई। यद्यपि उसके बाद 2001-02 में इसमें वृद्धि हुई। पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से में लगातार कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। इस अवधि के दौरान रसायनों, चमड़ा, मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों, काजू, टैक्सटाइल धागा और फैब्रिक, चमड़ा, कच्ची कपास, रेशम और जूट को मिलाकर निर्यात संबद्ध मदों का हिस्सा स्थिर रहा है।

तालिका 4.2

आयातों की स्थूल संरचना

क्र.सं.	वस्तु समूह	प्रतिशत हिस्सा				
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02(पी)
1	**थोक आयात**	**35.7**	**31.2**	**39.6**	**41.2**	**39.6**
	क. पेट्रोलियम तथा उत्पाद	19.7	15.1	25.4	31.0	27.4
	ख. थोक खपत वस्तुएं	3.6	6.0	4.9	2.9	4.0
	ग. अन्य थोक मद	12.4	10.2	9.3	7.4	8.2
2	**थोक-भिन्न आयात**	**64.3**	**68.8**	**60.4**	**57.7**	**60.4**
	क. पूंजीगत वस्तुएं	23.6	23.7	18.0	17.7	18.2
	ख. निर्यात-संबद्ध मद	16.7	16.8	18.4	15.9	16.1
	ग. अन्य	24.1	28.2	24.0	24.1	26.0
	जिसमें स्वर्ण और रजत	7.6	12.0	9.5	9.2	8.9

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

* पी - अनन्तिम

4.26 हमारे प्रमुख आयातों की दिशा को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि ओईसीडी देशों और विशेष रूप से ईयू आज की आयात मदों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। यद्यपि नौवीं योजना अवधि के अंत में इसमें कमी आई। इसके साथ ही,ओपेक तथा रूस से आयातों के हिस्से में कमी आई जबकि अन्य के हिस्से में काफी वृद्धि हुई। यह कहा जा सकता है कि पीओएल मदों के आयात में अन्य देशों के इस सैट से,ओपेक से भिन्न,वृद्धि हुई। अफ्रीका,एशिया और लातिन अमरीका से आयात का हिस्सा लगभग बराबर बना रहा।

व्यापार शेष

4.27 निर्यात वृद्धि में कमियों के कारण व्यापार घाटा नौवीं योजना के दौरान जीडीपी के अनुमानित 3.4 प्रतिशत के औसत पर रहा जो योजना दस्तावेज में परिकल्पित 1.8 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। किन्तु निरपेक्ष दृष्टि से व्यापार घाटा नौवीं योजना अवधि के दौरान 12.7 बिलियन और 17.8 बिलियन डॉलर के बीच में रहा। वस्तुतः 2001-2002 में यह केवल 12.7 बिलियन डॉलर था जबकि 1996-97 में यह 14.8 बिलियन डॉलर था।

अदृश्य

4.28 कुल अदृश्य प्राप्तियां 1996-97 में 21,405 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2001-02 में 35,612 मिलियन डॉलर हो गई (अर्थात 10.72 की औसत वृद्धि)। अदायगियां,जो 1996-97 में 11,209 मिलियन डॉलर थीं, 2001-02 में बढ़कर 21,558 मिलियन डॉलर हो गई (अर्थात 13.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि)। इस प्रकार निवल अदृश्य जो 1996-97 में 10,196 मिलियन डॉलर थे, 2001-02 में बढ़कर 14,054 मिलियन डॉलर हो गए (अर्थात 6.63 प्रतिशत की वृद्धि)। विविध निवल प्राप्तियों और निजी अंतरणों में भी उत्पलावकता आई है। अदृश्य प्रवाह,चालू खाते के लिए अत्यंत दृढ़ता के स्रोत थे। विविध प्राप्तियां (निवल) 1997-98 में 355 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2001-02 में 3,774 मिलियन डॉलर हो गईं और इसी प्रकार,निवल,निजी अंतरणों ने ऊंचा स्तर बनाए रखा जो 1997-98 में 11,830 मिलियन से बढ़कर, 2001-01 में 12,798 मिलियन डॉलर हो गए। किन्तु 2001-02 में इनमें मामूली कमी आकर ये 12,125 मिलियन डॉलर हो गए। 1996-97 के बाद से अनिवासी जमाओं की स्थानीय वापसी को मिलाकर निजी अंतरण प्राप्तियां सुदृढ़ बनी रहीं। निजी धन-प्रेषणों में निजी अंतरण प्राप्तियों की बढ़ी मात्रा शामिल है। साफ्टवेयर सेवा निर्यात,जिन्हें कारक-भिन्न सेवाओं की विविध प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, अदृश्य प्राप्तियों की दूसरी सबसे बड़ी मद के रूप में उभरे हैं। 1999-2000 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान साफ्टवेयर सेवा निर्यात में लगभग 52.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वृद्धि की गति 2000-01 में बनी रही जबकि इनमें 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो 1999-2000 में 4.02 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2000-01 में 6.3 बिलियन डॉलर की हो गई।

चालू खाता शेष (सीएबी)

4.29 अनुमान है कि नौवीं योजना के दौरान सीएबी का औसत जीडीपी का लगभग (-) 0.8 प्रतिशत रहेगा जो योजना दस्तावेज में परिकल्पित 2.1 प्रतिशत के आधे से कम है। भुगतान शेष की स्थिति तालिका 4.3 में देखी जा सकती है।

4.30 1997-98 में सीएबी (-) 5.5 बिलियन डॉलर था जो 2000-01 में कम होकर (-) 2.6 बिलियन डॉलर हो गया और 2001-02 में 1.35 बिलियन डॉलर धनात्मक हो गया। सीएबी में सुधार मुख्य रूप से निर्यात निष्पादन गतिशीलता,अदृश्यों में सतत रूप से उत्पलावकता,साफ्टवेयर सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि और निजी अंतरणों तथा अंशतः मंद तेल-भिन्न आयात मांग के कारण संभव हुआ।

विदेशी मुद्रा भंडार

4.31 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां,भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और भारत सरकार द्वारा धारित विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं। विगत दशक के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों में तेजी से वृद्धि हुई जो 1990-91 में 5,834 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2000-01 में 42,281 मिलियन डॉलर हो गई। भंडारों में वृद्धि जारी रही जो मार्च,2002 तक 54,106 मिलियन डॉलर और सितम्बर 2002 के मध्य तक 62,201 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गई। भंडारों का आयात कवर 1997-98 में 6.9 मास से बढ़कर 2000-01 में 8.6 मास तथा 2001-02 में लगभग 1 वर्ष तक और बढ़ गया,जो एक सुखद स्थिति है। इसके अलावा, यह असंभावित विदेशी दबावों अथवा कठिन देशज आपूर्ति कमियों के विरुद्ध बचाव का एक उपाय भी प्रस्तुत करता है। यह नकदी की जरूरत को पूरा करने में भी मदद देता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और वित्तीय बाजारों के बीच अर्थव्यवस्था में विश्वास जागृत होता है।

तालिका 4.3

भुगतान शेष की स्थिति

(मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	मद	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	निर्यात	35,680	34,298	37,542	44,894	44,915
2	आयात	51,187	47,544	55,383	59,264	57,618
	-जिसमें से पीओएल	8,164	6,399	12,611	15,650	13,669
3	व्यापार शेष	-15,507	-13,246	-17,841	-14,370	-12,703
4	अदृश्य (निवल)	10,007	9,208	13,143	11,791	14,054
	गैर-कारक सेवाएं	1,319	2,165	4,064	2,478	4,199
	निवेश आय	-3,521	-3,544	-3,559	-3,821	-2,728
	निजी अंतरण	11,830	10,280	12,256	12,798	12,125
	सरकारी अंतरण	379	307	382	336	384
5	चालू खाता शेष	-5,500	-4,038	-4,698	-2,579	1,351
6	विदेशी सहायता (निवल)	907	820	901	427	1,117
7	वाणिज्यिक उधार (निवल)@	3,999	4,362	313	4,011	-1,144
8	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	-618	-393	-260	-26	0
9	अनिवासी जमा (निवल)	1,125	960	1,540	2,317	2,754
10	रुपया ऋण सेवा	-767	-802	-711	-617	-519
11	विदेशी निवेश (निवल)	5,353	2,312	5,117	4,588	5,925
	जिसमें से--					
	(i) एफडीआई (निवल)	3,525	2,380	2,093	1,828	3,904
	(ii) एफआईआईएस	979	-390	2,135	1,847	2,021
	(iii) यूरो इक्विटी व अन्य	849	322	889	913	
12	अन्य प्रवाह (निवल)+	-606	608	3,940	-2,291	1,412
13	पूंजी खाता जोड़ (निवल)	9,393	7,867	10,840	8,409	9,545
14	आरक्षण उपयोग (-वृद्धि)	-3,893	-3,829	-6,142	-5,830	-10,896

टिप्पणी : @ आंकड़ों में 1991-92 में भारत विकास बांड, 1998-99 में रिसरजेंट इंडिया बांड और 2000-01 में इंडिया मिलेनियम डिपाजिट के कारण प्राप्तियां और संबद्ध वापसी अदायगियां बाद के वर्षों में, यदि कोई हों, शामिल हैं।
+ अन्य के साथ-साथ देरी से निर्यात प्राप्तियां और त्रुटियां तथा भूल-चूक शामिल है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

विनिमय दर उतार-चढ़ाव

4.32 रुपए की विनिमय दर आमतौर पर बाजार निर्धारित रही है, सिवाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कभी - कभी काउंटर चक्रीय प्रचालनों को छोड़कर। नौवीं योजना के दौरान विनिमय दर का उतार-चढ़ाव निम्न प्रकार रहा (तालिका 4.4)।

तालिका 4.4
विनिमय दर (रुपए/डॉलर)

वर्ष	विनियम दर	गिरावट (प्रतिशत)
1997-98	37.165	4.48
1998-99	42.071	11.66
1999-00	43.333	2.91
2000-01	45.684	5.15
2001-02	47.707	4.24

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

4.33 विनिमय दर बाजार ने समुचित स्थिरता दर्शाई है। जबकि रुपए में 1997-98 में 37.165 प्रति डॉलर के वार्षिक औसत से 2001-02 में 47.707 तक 6.1 प्रतिशत की कमी आई।

4.34 विश्व अर्थव्यवस्था में अमरीका में 11 सितम्बर,2001 की घटनाओं के बाद सबसे अधिक दबाव देखा गया। परिणामस्वरूप भारत में विदेशी मुद्रा बाजार भी अस्थिर हो गए, जबकि रुपए में 10 से 20 सितम्बर को 10 दिन की अवधि के दौरान,डॉलर की तुलना में 1.3 प्रतिशत की कमी आई। देशज वित्तीय बाजार स्थिर करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 15-25 सितम्बर,2001 की अवधि के दौरान कुछ उपायों की घोषणा की। इन उपायों से संभावित घबराहटपूर्ण प्रतिक्रियाओं को मामूली बनाने और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को कम करने,विशेष रूप से धन, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों को साधारण बनाने में वांछित प्रभाव पड़े।

4.35 विनिमय दर प्रबंधन नीति के अन्तर्गत,एक व्यवस्थित ढंग से कुछ अवधि के दौरान विनिमय दर उतार-चढ़ाव निर्धारित करने के लिए मांग और पूर्ति स्थितियों की छूट देते हुए किसी निश्चित दर लक्ष्य के बिना विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने पर बल दिया जाना जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में और विदेश में वित्तीय बाजारों में घटनाओं का बारीकी से मानीटरन करता है और समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त विनियामक उपायों के साथ बाजार प्रचालनों का समन्वय करता है।

4.36 रुपए की विनिमय दर की घटबढ़ और महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों की दृष्टि से देशज स्फीतिकारी दर को देखते हुए वास्तविक प्रभावी विनिमय दर(आरईईआर) को देश की विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक समझा जाता है। आरईईआर की दृष्टि से रुपए की स्थिति और साधारण प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) तालिका 4.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5
भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर), एवं साधारण प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के सूचक
(36-देश द्विपक्षीय व्यापार आधारित भार) (आधार 1985 = 100)

वर्ष	आरईईआर	प्रतिशत भिन्नता	एनईईआर	प्रतिशत भिन्नता
1996-97	63.81	0.3	38.97	-1.9
1997-98	67.02	5.0	40.01	2.7
1998-99	63.44	-5.3	36.34	-9.2
1999-00	63.30	-0.2	35.46	-2.4
2000-01	66.53	5.1	35.52	0.2
2001-02 (पी)	68.43	2.9	35.75	0.7

टिप्पणी : आरईईआरके संबध में सूचक 1993-94 = 100 आधार के साथ नए थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) श्रृंखला का उपयोग करते हुए अप्रैल,1994 के बाद से पुनः परिकलित किए गए हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

4.37 आरईईआर वर्ष 1996-97 में 63.81 था, जो 1997-98 में बढ़कर 67.02 हो गया और 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान इसमें कमी आई। उसके बाद अगले दो वर्षों में यह पुनः बढ़ गया। इससे रुपए की विनिमय दर में अस्थिरता का पता चलता है। इससे यह भी आभास होता है कि इसका थोड़ा सा अधिक मूल्यांकन किया गया है। बड़ी मुद्राओं की तुलना में डॉलर में वृद्धि के साथ रुपए में भी वास्तविक दृष्टि से वृद्धि हुई है।

विदेशी निवेश

4.38 भारत जैसे विकासशील देश में एफडीआई को आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए देशज निवेश को पूरक बनाने के वास्ते एक साधन के रूप में समझा जाता है। एफडीआई से देशज उद्योग को और साथ ही प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु अवसर सुलभ कराकर, विश्व प्रबंधकीय दक्षताओं और प्रथाओं की सुलभता, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता, निर्यात बाजारों के खुलने तथा अंतर्राष्ट्रीय अच्छी किस्म की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि द्वारा उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचता है। इस उद्देश्य हेतु एफडीआई नीति की लगातार समीक्षा की जाती रही है और भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक सर्वाधिक अनुकूल स्थान बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय किए गए हैं।

4.39 एफडीआई आप्रवाह अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पूंजी की सुरक्षित वसूली का आश्वासन, लाभांशों का नियमित प्रत्यर्पण, समग्र परिवेश, विनिमय दर और कीमत स्थिरता, कच्चे माल व अन्य निविष्टियों की उपलब्धता, कुशल जनशक्ति आधारभूत सुविधाएं और देशज तथा निर्यात बाजारों की विद्यमानता। 1991 के बाद से एफडीआई के संबंध में सरकारी नीति का उद्देश्य विदेशी निवेश को, विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा आधारभूत क्षेत्रकों में प्रोत्साहित करता रहा है। सरकार ने अधिकांश क्षेत्रकों में, थोड़ी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर, एफडीआई के लिए स्वतः आगमन की सुलभता की अनुमति दे दी है। विदेशी निवेशकों को अपना निवेश लाने में तीस दिन के अंदर और शेयर जारी करने के भी 30 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को केवल सूचित करने की जरूरत है। आधारभूत क्षेत्रकों में, जिनमें विद्युत, दूर-संचार, तेलशोधन आदि शामिल हैं, 100 प्रतिशत एफडीआई के साथ विदेशी निवेश पर बल दिया जा रहा है।

4.40 विदेशी निवेश आप्रवाह 1990-91 में 103 मिलियन

तालिका 4.6
विदेशी निवेश आप्रवाह

(मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	वस्तु समूह	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
क	**प्रत्यक्ष निवेश**	3,557	2,462	2,155	2,339	3,904
	क) सरकार (एसआईए/एफपीआईपीबी)#	2,754	1,821	1,410	1,456	2,221
	ख) भारतीय रिजर्व बैंक	202	179	171	454	767
	ग) अनिवासी भारतीय	241	62	84	67	35
	घ) शेयरों की प्राप्ति*	360	400	490	362	881
ख	**पोर्टफोलियो निवेश**	1,828	-61	3,026	2,760	2,021
	क) जीडीआर/एडीआर@	645	270	768	831	477
	ख) एफआईआई**	979	-390	2,135	1,847	1,505
	ग) अपतटीय निधियां व अन्य	204	59	123	82	39
	जोड़ (क+ ख)	5,385	2,401	5,181	5,099	5,925

टिप्पणी : * फेमा, 1999 की धारा 5 के तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर प्राप्त करने से संबंधित है। ऐसी प्राप्तियों के संबध में डाटा को जनवरी 1996 के बाद से एफडीआई के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

@ ग्लोबल डिपॉजटरी रिसीट(जीडीआर) और अमरीकन डिपॉजटरी रिसीटस(एडीआर) के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि का द्योतक है।

** विदेशी संस्थात्मक निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निधियों के ताजे आप्रवाह का द्योतक है।

एसआईए = औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय एफआईपीबी = विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
एनआरआई = अनिवासी भारतीय

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

डॉलर से बढ़कर 2001-02 में 5,925 मिलियन डॉलर तक हो गया जो 1996-97 में 6,133 मिलियन डॉलर के शीर्ष स्तर पर थे। तालिका 4.6 में नौवीं योजना अवधि के दौरान इन प्रवाहों की पद्धति दर्शाई गई है।

4.41 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह,1997-98 में 3,557 मिलियन डॉलर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद 2000-01 में घटकर 2,339 मिलियन डॉलर हो गया और 2001-02 में बढ़कर 3,904 मिलियन डॉलर हो गया। 1990 के दशक में एफडीआई के स्रोत और दिशा कुल मिलाकर अपरिवर्तित रही। अधिकांश एफडीआई को कम्प्यूटर हार्ड और साफ्टवेयर, इंजीनियरी उद्योगों, सेवाओं, इलेक्ट्रानिकी और विद्युतीय उपस्कर, रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद और खाद्य तथा डेरी उत्पादों में लगाया गया।

4.42 विदेशी संस्थात्मक निवेश आप्रवाह 1992-93 में मात्र एक मिलियन डॉलर से बढ़कर 1999-2000 में 2,135 मिलियन डॉलर के शीर्ष पर पहुंच गया और 2001-2002 के दौरान 1,505 मिलियन डॉलर पर रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान एफआईआई प्रवाह में 390 मिलियन डॉलर का नकारात्मक स्तर दर्ज किया गया। एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश संबंधी नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर प्रमुख उपाय किए जाते हैं। वर्ष 2001-2002 के बजट में एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में सीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी को 24 प्रतिशत के सामान्य स्तर से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया जो एक विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारियों की आम सभा के अनुमोदन के अध्यधीन होगा। हाल ही में,भारतीय कंपनियों को गौण बाजार के माध्यम से एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में कुल सीमा को 24 प्रतिशत के समान्य स्तर से बढ़ाकर कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी के लागू क्षेत्रीय पूंजी स्तरों तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, जो विशेष प्रक्रिया के अनुपालन के अध्यधीन होगा, अर्थात (क) 24 प्रतिशत से अंधिक वृद्धिकारी सीमा के संबंध में कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन और (ख) 24 प्रतिशत से अधिक वृद्धिकारी सीमा का अनुमोदन करते हुए, कंपनी की आम सभा द्वारा पारित एक विशेष संकल्प।

4.43 जीडीआर/एडीआर के माध्यम से जुटाई गई निधियों की राशि 2000-01 में 831 मिलियन डॉलर और 2001-02 में 477 मिलियन डॉलर थी। सरकार एक क्रमिक ढंग से जीडीआर/एडीआर जारी करने के लिए मार्गनिर्देशों को उदार बना रही है।

विदेशी ऋण

4.44 भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2002 के अंत में 98.14 बिलियन डॉलर था, जबकि मार्च,1997 के अंत में 93.47 बिलियन डॉलर और मार्च 1998 के अंत में 93.53 बिलियन डॉलर था। नौवीं योजना के दौरान विदेशी ऋण के स्टॉक में 0.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत के बकाया विदेशी ऋण से संबंधित स्थिति तालिका 4.7 में दर्शाई गई है।

4.45 विदेशी ऋण स्टाक में सीमांतक वृद्धि के बावजूद,हाल ही के वर्षों में देश की विदेशी ऋण स्थिति में सुधार हुआ है। ऋण जीडीपी अनुपात, जो देशज उत्पादन की दृष्टि से विदेशी ऋण की मात्रा दर्शाता है,मार्च 1992 के अंत में 38.7 प्रतिशत से घटकर मार्च,2001 के अंत में 22.3 प्रतिशत और मार्च,2002 के अंत में और घटकर 20.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार,ऋण-सेवा अनुपात,जो ऋण दायित्वों के परिशोधन की क्षमता को मापता है,1990-91 में वर्तमान प्राप्तियों में 35.3 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से कम होकर 2000-01 में

तालिका 4.7

भारत का बकाया विदेशी ऋण (मार्च के अंत में)

(मिलियन डॉलर)

श्रेणियां	1998	1999	2000	2001	2002 (पी)
अल्पावधिक ऋण	5,046	4,274	3,933	3,480	2,746
दीर्घावधिक ऋण	88,485	92,612	94,330	96,224	95,392
कुल ऋण	93,531	96,886	98,263	99,704	98,138

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

17.3 प्रतिशत और मार्च,2002 के अंत तक और कम होकर 14.1 प्रतिशत हो गया। कुल ऋण के प्रति अल्पावधिक ऋण (एक वर्ष तक की परिपक्वता के साथ) मार्च, 1991 में 10.2 प्रतिशत से कम होकर मार्च, 2001 के अंत तक 3.5 प्रतिशत हो गया और मार्च 2002 के अंत तक और कम होकर 2.8 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के प्रति अल्पावधिक ऋण में भी सुधार हुआ है जो मार्च,1991 के अंत में 382.1 प्रतिशत के शीर्ष से मार्च 2001 के अंत में 8.8 प्रतिशत हो गया। मार्च 2002 के अंत में अनुपात 5.4 प्रतिशत था। रियायती ऋण का हिस्सा, जो 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध के दौरान, लगभग 45 प्रतिशत पर स्थिर था, कम होकर मार्च, 1999 के अंत में 38.5 प्रतिशत और मार्च 2002 के अंत में और कम होकर 35.8 प्रतिशत हो गया। विश्व के पन्द्रह शीर्ष ऋण प्राप्तकर्ता देशों के बीच भारत के रियायती ऋण का हिस्सा सबसे अधिक था।

तालिका 4.8

विदेशी ऋण : प्रमुख संकेतक

(प्रतिशत अनुपात)

मद	1998	1999	2000	2001	2002 (पी)
जीडीपी के अनुपात में कुल विदेशी ऋण	24.3	23.6	22.2	22.3	20.8
कुल ऋण के अनुपात में अल्पावधिक ऋण	5.4	4.4	4.0	3.5	2.8
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अनुपात में अल्पावधिक ऋण	19.4	14.5	11.2	8.8	5.4
कुल ऋण के अनुपात में रियायती ऋण की प्रतिशतता	39.5	38.5	38.9	36.0	35.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

4.46 अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की ऋणग्रस्तता स्थिति में सुधार हुआ है। ऋण के वास्तविक स्तर की दृष्टि से 1991 में ब्राजील और मेक्सिको के बाद तीसरे सबसे बड़े ऋणकर्ता से स्थिति सुधर कर 1999 में ब्राजील,रूसी संघ, मेक्सिको, चीन, इंडोनेशिया, अर्जेन्टीना, कोरिया, तुर्की और थाइलैंड के बाद दसवीं हो गई। विदेशी ऋण के वर्तमान मूल्य की दृष्टि से भी भारत का स्थान दसवें सबसे बड़े ऋणप्राप्तकर्ता देश के रूप में है। ऋणग्रस्तता वर्गीकरण की दृष्टि से भारत ने अपनी स्थिति में 1991 में गंभीर रूप से ऋणग्रस्तता के निकट श्रेणी से 1999 में कम ऋणग्रस्त बेंचमार्क तक सुधार किया (ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस 2001,विश्व बैंक)।

4.47 1991-92 के बाद से भारत की विदेशी ऋण स्थितियों में सुधार ऐसी सजग ऋण प्रबंधन नीति के कारण हुआ है जिसके अन्तर्गत निर्यात को ऊंची वृद्धि दर ,परिपक्वता संरचना और साथ ही वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को प्रबंधकीय सीमाओं के अन्तर्गत रखने,अल्पावधिक ऋण को सीमित रखने और ऋणभिन्न सृजक वित्तीय प्रभावों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। इन उपायों के फलस्वरूप देश की विदेशी ऋणग्रस्तता स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। अब पहले प्राप्त किए गए लाभों को और दृढ़ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक नई पहलें की गई हैं । इनमें विदेशी ऋण डाटा का अधिक कवरेज और कम्प्यूटरीकरण, ऋण सांख्यिकी की रिपोर्ट करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय,अधिक खर्चीले विदेशी ऋण की पूर्व अदायगियां/पुनः वित्तपोषण तथा देश के प्रभुतासंपन्न विदेशी ऋण के सक्रियतापूर्वक प्रबंधन हेतु अन्य उपाय शामिल हैं।

विदेशी क्षेत्रक पूर्वानुमान

4.48 जैसाकि अध्याय 2 में बताया गया है, जीडीपी में 8 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के साथ वृहत आर्थिक आयामों के फलस्वरूप वर्ष 2006-07 तक निवेश दर 32.3 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है जबकि वर्तमान निवेश दर 24.3

प्रतिशत है। आशा है कि यह वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में कार्यकुशलता में सुधार करके और ऊंची क्षमता उपयोगिता शामिल करके प्राप्त की जाएगी। बचत अनुपात के 2006-07 तक 29.4 प्रतिशत तक बढ़ जाने की उम्मीद है जबकि 2001-02 में यह स्तर 23.5 प्रतिशत था। कुल मिलाकर,योजना के संबंध में 26.8 प्रतिशत की बचत दर का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के अंत तक निवेश आवश्यकता और घरेलू बचतों के बीच अंतर की दृष्टि से अंतर्निहित चालू खाता घाटा अनुमानतः 2006-07 तक जीडीपी का 2.9 प्रतिशत और पूरी योजना के संबंध में औसतन 1.6 प्रतिशत अनुमानित है। इस अंतर को विदेशी निवेश के आप्रवाहों, विदेशी वाणिज्यिक उधारों और विदेशी सहायता के अन्य रूपों के मिश्रण के जरिए पूरा किया जाना है। चालू खाता घाटे के आचरणात्मक पक्ष पर विचार करने के उद्देश्य से, इस खंड में हम निर्यातों, आयातों और अदृश्यों के प्रवाहों के पूर्वानुमानों पर विचार करेंगे। ये पूर्वानुमान आठवीं और नौवीं योजना अवधियों के दौरान अनुभवों के आधार पर तैयार किए गए हैं। निःसंदेह वास्तविक भुगतान के परिणाम विश्व अर्थव्यवस्था में घटनाओं और आंतरिक वृहत आर्थिक शेष पर निर्भर करते हैं किन्तु विदेशी विभेदकों के संबंध में नीतिगत रुख की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

4.49 अधिक उदारीकृत भुगतान शेष पालन की जाने वाली नीति तथा निर्यात और आयात में विगत प्रवृत्तियों व अन्य निर्धारक विभेदकों को ध्यान में रख कर दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्यात और आयात के संबध में पूर्वानुमान लगाए गए हैं।

निर्यात

4.50 भारतीय संदर्भ में,निर्यातों को अभी भी प्रमुख आपूर्ति-पक्ष निर्धारित समझा जाता है। यद्यपि मांग संबद्ध कारक, जैसे कि सापेक्ष कीमतें (विनिमय दर घटबढ़ सहित) और विश्व आय,क्रमिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, विशेष रूप से विशिष्ट निर्यात मदों के संबंध में, प्रमुख कारक अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पूर्ति हेतु निर्यात-योग्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तैयार करने की क्षमता बनी हुई है। हाल के निर्यात निष्पादन के विशलेषण से पता चलता है कि जीडीपी में पण्यों का हिस्सा, विनिमय दर भिन्नताओं के साथ निर्यात आचरण पर जबरदस्त प्रभाव डालता है। सापेक्ष कीमतें भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय आय स्तर ज्यादा प्रभावित करते हुए प्रतीत नहीं होते,जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय निर्यातों के निम्न हिस्से को परिलक्षित करते हैं।

4.51 विशलेषणों के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए और जीडीपी में पूर्वानुमानित वृद्धि और दसवीं योजना अवधि के दौरान इसके घटकों तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान स्वतंत्र विभेदकों में प्रवृत्तियों के संबंध में कतिपय धारणाओं के आधार पर निर्यात पूर्वानुमान लगाए गए हैं। परिणामों से पता चलता है कि यदि दसवीं योजना के लक्ष्य पूरे हो जाएं तो निर्यात संभवतः 2001-02 में 44,915 मिलियन डॉलर की तुलना में 2006-07 में 80,419 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। इसका अर्थ दसवीं योजना के दौरान 1.5 की नम्यता के साथ 12.4 प्रतिशत की pØवृद्धि दर होगा। यह नोट करने योग्य है कि ये पूर्वानुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि आरईईआर कुल मिलाकर वर्तमान स्तर पर बने रहेंगे। इस प्रकार और अधिक आक्रामक विनिमय दर नीति के साथ,यदि आवश्यक हुआ,निर्यात बढ़ाने में कुछ नम्यता विद्यमान है।

4.52 इन पूर्वानुमानों के आधार पर,सेक्टरवार निर्यात प्रसार,लगभग स्थूल वस्तु समूहों के संबध में अनुमानित किया गया है,जैसा कि संलग्नक-1 में देखा जा सकता है। क्षेत्रक-वार ब्यौरा नौवीं योजना अवधि के दौरान इन क्षेत्रकों के हिस्से और वृद्धि दरों पर आधारित है। यह देखा जा सकता है कि उम्मीद है कि मत्स्य उत्पाद,अन्य खाद्य व पेय,कपड़ों सिले-सिलाए वस्त्रों,अन्य अधातु खनिजों (मोतियों, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थरों) ,चर्म उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों,रसायनों,लौह तथा इस्पात,मशीनरी और संचार तथा इलेक्ट्रानिकी मदों का हिस्सा निर्यात में ऊंचा होगा। इसके साथ ही दसवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों,उसके बाद संचार और इलेक्ट्रानिकी उपस्करों,विद्युतीय मशीनरी,अन्य अधात्विक खनिजों, पेंटों, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों, कपड़ों,सिले सिलाए वस्त्रों,खाद्य और पेयों आदि की उच्च वृद्धि होने की संभावना है। जहां तक खाद्य मदों के निर्यात के पूर्वानुमानों का संबध है,यह उल्लेखनीय है कि ये अधिशेष की उपलब्धता के अध्यधीन हैं और देशज पोषाहार आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, दसवीं योजना के दौरान कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि और सीमित देशज मांग के साथ (क्रय शक्ति की तंगी के कारण) संसाधित मदों का निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें बागवानी उत्पादों, विशेष रूप से संसाधित खाद्य और सब्जियों,काजू गिरी,मसालों,विनिर्मित तम्बाकू, केस्टर आयॅल और खलों, खाद्य उत्पादों के अलावा,

कुक्कुट, संसाधित मांस व अन्य संसाधित खाद्य और पेयों का निर्यात शामिल है। कृषि संबंधी निर्यातों के पूर्वानुमानों में इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कृषि तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात में समग्र वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

आयात

4.53 भारत में आयात मुख्यतः मांग निर्धारित हैं तथा औसत टैरिफों में परिवर्तनों के प्रति अति संवेदी भी हैं। सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सीमा शुल्कों को धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। वर्ष 1991-92 के दौरान औसत शुल्क ड्यूटी 128 प्रतिशत थी, और इसके साथ-साथ वस्तु समूहों के बीच बड़ी संख्या में पृथक टैरिफ दरें भी थी और बहुत सी छूट भी विद्यमान थी। 1996-97 में औसत (कुल) ड्यूटी दरें 38.6 प्रतिशत थी जिसमें 19 की मानक वंचना थी। उच्चतर ड्यूटी दर मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्रक में थी और उसमें काफी भिन्नता थी। 2001-02 तक औसत आयात ड्यूटी (कुल) दर 37.1 प्रतिशत तक कम कर दी गई जिसे और कम करके 2002-03 में 33.7 प्रतिशत कर दिया गया (2002-03 में औसत बुनियादी आयात ड्यूटी 28.9 प्रतिशत है)। यद्यपि टैरिफ संरचना को अन्य पूर्व एशियाई देशों के अनुरूप बनाने के लिए इसे और युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश है, तथापि टैरिफ दरों के प्रति आयातों की संवेदनशीलता मांग करती है कि वृहत आर्थिक संतुलनों पर अनुचित दबाव डालने में सावधानी बरती जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि भुगतान शेष पर वैकल्पिक टैरिफ सुधार परिदृश्यों के निहितार्थों की जांच करना आवश्यक है।

4.54 देश में कुल आयात मांग का आचरण देशज विकास दरों द्वारा जबरदस्त प्रेरित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, टैरिफों का औसत स्तर भी जबरदस्त प्रभाव डालता है। हाल ही में विगत में विनिमय दर प्रभाव, उम्मीदों के विपरीत, विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। इसका एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि भारत में औसत टैरिफ दरें अभी भी बहुत ऊंची हैं कि विनिमय दर, आयात करने के निर्णय में कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती। उम्मीद है कि जैसे-जैसे टैरिफ दरें घटेंगी, विनिमय दर घटबढ़ धीरे-धीरे अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी।

4.55 दसवीं योजना अवधि के दौरान आयातों का पूर्वानुमान दो संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया गया है। पहले (परिदृश्य 1) के औसत (कुल) टैरिफ दर योजना के अंतिम वर्ष में 15 प्रतिशत के पूर्व एशियाई स्तर तक कम होने की उम्मीद की गई है। परिदृश्य-2 में सरकार द्वारा घोषित संकेतात्मक लक्ष्य एक ऐसी दर प्राप्त करने पर अनुमानित है कि अंतिम वर्ष में 18 प्रतिशत की औसत शुल्क दर प्राप्त हो जाए। इन टैरिफ कटौतियों के इन दोनों सेटों की समय-सारणी भी भिन्न है। परिदृश्य-1 में टैरिफ कटौतियों में एक पद्धति की उम्मीद की गई है जिसमें कुल ड्यूटी दर का वर्तमान औसत अगले वर्ष 33.7 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक नीचे लाया जाए, उसके बाद 22 प्रतिशत तक और बाद में 18 प्रतिशत तक और अंततः 2006-07 तक 15 प्रतिशत तक नीचे लाया जाए। परिदृश्य-2 में धीरे-धीरे कटौतियां 2003-04 में 28 प्रतिशत तक और 2006-07 तक क्रमशः 24 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तक और 18 प्रतिशत तक कम करने की उम्मीद की गई है। दोनों परिदृश्यों में, जीडीपी वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के योजना लक्ष्य पर मानी गई है। विश्लेषण के परिणामों का प्रयोग करते हुए आयातों का पूर्वानुमान लगाया गया है।

4.56 परिदृश्य-1 में, 2006-07 तक टैरिफों को 15 प्रतिशत तक कम किए जाने पर कुल आयात जो 2001-02 में 57,618 मिलियन डॉलर थे, बढ़कर 2006-07 तक 1,32,058 मिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है जिसका अर्थ है कि 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि तथा 2.3 की नम्यता। किन्तु यदि टैरिफ घटाकर केवल 18 प्रतिशत तक किए जाते हैं तो आयात 2006-07 तक 1,22,846 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है, अर्थात 16.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और 2.0 की नम्यता।

4.57 आयात के संबध में क्षेत्रकवार विवरण संलग्नक-2 में दिया गया है। अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की गई प्रक्रिया वही है जो निर्यातों के संबंध में वस्तुवार पूर्वानुमानों के लिए अपनाई गई थी। उम्मीद है कि अशोधित पेट्रोलियम का हिस्सा सर्वाधिक बना रहेगा उसके बाद अन्य धात्विक(स्वर्ण और रजत सहित) तथा अधात्विक खनिजों, रसायनों, मशीनरी और परिवहन उपस्करों का स्थान होगा। खाद्य मदों के आयात का पूर्वानुमान अपेक्षाकृत निम्न है, सिवाय खाद्य तेलों के। दसवीं योजना के दौरान आयातों में सर्वाधिक वृद्धि संभवतः संचार और इलेक्ट्रानिकी उपस्करों में होगी, उसके बाद विद्युत और विद्युतीयभिन्न मशीनरी, खाद्य तेलों, अधात्विक लघु खनिजों, चाय और काफी तथा चर्म और चर्म उत्पादों का होगा।

व्यापार शेष

4.58 व्यापार शेष, जिसे विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत

पूर्वानुमानित निर्यातों और आयातों के आधार पर तय किया गया है, परिदृश्य-1 में (-) 1,64,141 मिलियन तक बढ़ जाने और परिदृश्य-2 में (-) 1,41,352 मिलियन डॉलर तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

अदृश्य

4.59 निवल अदृश्यों का पूर्वानुमान बर्हिजात ढंग से लगाया गया है और इनमें वृद्धि मोटे तौर पर 2001-02 में 14,054 मिलियन डॉलर की आधार स्थिति से 11 प्रतिशत की दर से होने की उम्मीद है,जिनमें 35,612 मिलियन डॉलर की प्राप्तियां और 21,558 मिलियन डॉलर की अदायगियां सम्मिलित हैं। उम्मीद है कि पूर्वानुमानित निवल अदृश्य 2007 तक बढ़कर 23,716 मिलियन डॉलर हो जाएगी।

चालू खाता शेष

4.60 पूर्वानुमानित व्यापार शेष और निवल अदृश्यों के आधार पर चालू खाता शेष की स्थिति विभिन्न परिदृश्यों में तय की गई है और तालिका 4.9 में दर्शाई गई है। यह देखा जा

तालिका 4.9

दसवीं योजना अवधि के दौरान चालू खाता शेष (मिलियन डॉलर)

परिदृश्य-1 (जीडीपी 8 प्रतिशत : टैरिफ 33.7%,27%,22%,18%,15%)				
	2001-02	**2006-07**	**जोड़**	**of¼nj (%)**
जीडीपी	4,37,029	6,42,025	27,37,497	8.0
निर्यात	44,915	80,419	3,22,863	12.4
आयात	57,618	1,32,058	4,87,004	18.0
व्यापार शेष	-12,703	-51,639	-1,64,141	
व्यापार शेष/जीडीपी	-2.9	-8.0	-6.0	
अदृश्य -प्राप्तियां	35,612	67,077	2,64,542	13.5
-अदायगी	21,558	43,361	1,67,155	15.0
अदृश्य (निवल)	14,054	23,716	97,387	11.0
चालू खाता शेष	1,351	-27,923	-66,754	
चालू खाता/ जीडीपी	0.3	-4.3	-2.4	
परिदृश्य-2(जीडीपी 8 प्रतिशत : टैरिफ 33.7%,28%,24%,20%,18%)				
	2001-02	**2006-07**	**जोड़**	**of¼nj (%)**
जीडीपी	4,37,029	6,42,025	27,37,497	8.0
निर्यात	44,915	80,419	3,22,863	12.4
आयात	57,618	1,22,058	4,64,215	16.3
व्यापार शेष	-12,703	-42,427	-1,41,352	
व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-2.9	-6.6	-5.2	
अदृश्य -प्राप्तियां	35,612	67,077	2,64,542	13.5
-अदायगी	21,558	43,361	1,67,155	15.0
अदृश्य (निवल)	14,054	23,716	97,387	11.0
चालू खाता शेष	1,351	-18,711	-43,965	
चालू खाता/जीडीपी (%)	0.3	-2.9	-1.6	

टिप्पणी : टैरिफ कुल ड्यूटियां हैं और इनमें बुनियादी तथा विशेष अतिरिक्त ड्यूटी सम्मिलित हैं।

स्रोत : वर्ष 2001-02 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक।

सकता है कि टैरिफों की पूर्व एशियाई स्तरों के अनुरूप,अर्थात 15 प्रतिशत तक लाने के लिए 2001-02 में औसत 33.1 प्रतिशत से 2002-03 में 33.7 प्रतिशत (दसवीं योजना का प्रथम वर्ष) कम करने से सीएबी में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। 2006-07 तक टैरिफों को कम करना इसके सर्वाधिक अनुरूप होगा। यदि टैरिफों को 18 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए तो सीएबी अपेक्षाकृत अधिक प्रबंधक योग्य होगा,जैसाकि सीएबी/जीडीबी अनुपातों की स्थिति से देखा जा सकता है।

पूंजी खाता

4.61 पूंजी खाता पूर्वानुमानों में चालू खाता शेष का वित्तपोषण दर्शाया गया है, जैसाकि तालिका 4.10 में दिया गया है जिसमें विदेशी बचत के ब्यौरे दिए गए हैं। दसवीं योजना के दौरान विदेशी सहायता और विदेशी निवेश के संबंध में ये पूर्वानुमान विगत प्रवृत्तियों और भविष्य में संभावित घटनाओं के आधार पर लगाए गए हैं,विशेष रूप से रिसरजेंट इंडिया बांडों और इंडिया मिलेनियम डिपाजिटरियों की वापसी अदायगी को पूरी तरह से हिसाब में लिया गया है।

भुगतान शेष

4.62 चालू खाते और पूंजी खाते के आधार पर भंडारों के रूप में परिवर्तन की दृष्टि से देखे गए भुगतान शेष का पूर्वानुमान दो परिदृश्यों के अन्तर्गत लगाया गया है, जैसाकि तालिका 4.11 में देखा जा सकता है। परिदृश्य-1 में जब टैरिफों को 15 प्रतिशत तक नीचे लाया जाएगा,जब 2006-07 तक भंडारों में परिवर्तन संभवतः (-) 5,701 मिलियन डॉलर का होगा। भंडारों में परिवर्तन परिदृश्य-2 में 2006-07 तक 3,511 मिलियन डॉलर तक होने की संभावना है,जबकि टैरिफों को कम तेजी के साथ 18 प्रतिशत तक नीचे लाया जाएगा।

4.63 जैसाकि तालिका 4.11 से देखा जा सकता है ,इस समय संघारणीय चालू खाता घाटा और अदायगी शेष स्थिति में काफी तालमेल होने की संभावना है, यदि औसत टैरिफ को तेजी से पूर्व-एशियाई स्तरों तक लाया जाए। किन्तु निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करना आवश्यक होगा क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन (व्यापारयोग्य और सापेक्ष कीमतों के बदलते हिस्से की दृष्टि से) एक मध्यावधिक से दीर्घावधिक

तालिका 4.10
विदेशी बचतों का आप्रवाह

(मिलियन डॉलर)

	2001-02 (पी)	2006-07
विदेशी सहायता (निवल)	1,117	1,572
वाणिज्यिक उधार (निवल)	-1,114	4,400
अनिवासी जमा (निवल)	2,754	2,750
रुपया ऋण परिशोधन	-519	-600
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	3,905	7,500
पोर्टफोलियो निवेश	2,020	5,600
विदेशी निवेश प्रवाह (निवल)	5,925	13,100
अन्य पूंजी प्रवाह (निवल)	1,382	1,000
पूंजी खाता जोड़ (निवल)	9,545	22,222
ऋण	2,550	9,122

स्रोत : योजना आयोग (सितम्बर 2001) विदेशी सहायता और डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के संबंध में उप-दल की रिपोर्ट

तालिका 4.11
विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत भंडारों में परिवर्तन

(मिलियन डॉलर)

वर्ष	चालू खाता शेष और सीएबी/जीडीपी कोष्ठक में		पूंजी खाता (निवल)	भंडारों में परिवर्तन	
	परिदृश्य-1	परिदृश्य-2		परिदृश्य-1	परिदृश्य-2
2001-02	1,351 (0.3)	1,351 (0.3)	9,545	10,896	10,896
2006-07	-27,923 (-4.3)	-18,711 (-2.9)	22,222	-5,701	3,511

स्रोत : तालिका 4.9 और 4.10 से प्राप्त।

विकल्प हो सकता है, साधारण विनिमय दर को भुगतान शेष को नियंत्रण में रखने के लिए समय-समय पर उपयुक्त रूप से समायोजित करना होगा। चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करना दसवीं योजना के दौरान संधारणीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेश के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रकों में लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा,जैसाकि पूर्व एशियाई देशों के अनुभव से देखा गया है,''असंतुलित'' अल्पावधिक ऋण पर सीमित निर्भरता की वर्तमान प्रवृत्ति को जारी रखने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडारों को अल्पावधिक ऋण में और इसी प्रकार अल्पावधिक ऋण से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में लगाए जाने को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उत्पल्पावकता बनाए रखने के वास्ते व्यवहार्य स्तरों पर बनाए रखने की जरूरत है।

व्यापार और विनिमय दर नीति

4.64 हाल ही तक भारत में व्यापार व्यवस्था बहुत जटिल रही है जिसकी विशेषाता आयातों और निर्यातों पर कठोर मात्रात्मक प्रतिबंध और आयातों पर बहुत अधिक टैरिफ की रही है। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध एक प्रतिबंधात्मक लाइसेंस नीति पर आधारित थे और अनेक प्रकार की विशेषा आयात स्कीमों में ये और जटिल हो गए। इनमें निर्यातकों के लिए आयात प्रतिपूर्ति स्कीम, वास्तविक उपभोक्ता नीति, सरकारी क्रय प्राथमिकता और नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में सारणीकृत आयात सम्मिलित हैं।

4.65 यह मान्य है कि एक अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था का सृजन करने के वास्ते सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा, व्यापारयोग्य वस्तुओं और सेवाओं का एक विस्तारित उत्पादन आधार निर्मित करना है जो केवल यही नहीं कि विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके बल्कि देश की आयात जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निर्यात आय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अधिशेष की भी व्यवस्था कर सके। दूसरी पूर्वापेक्षा ऐसी स्थितियां पैदा करने की है जिनके अन्तर्गत निर्यात बाजार अधिकाधिक आकर्षक हो सके ताकि देशज बाजार में बिक्री करने की बजाय निर्यात किए जा सकें। ये दोनों शर्तें एक दूसरे के साथ गहन रूप से जुड़ी हैं और इनमें निर्यात-रोधी पूर्वग्रह को कम करना और अंततः समाप्त करना शामिल है जो विगत में भारतीय आथिक प्रगति की एक विशेषाता रही है और कुछ सीमा तक इस समय भी विद्यमान है। इसके दो आयाम हैं प्रथमतः प्रोत्साहन पद्धति को व्यापारयोग्य वस्तुओं और सेवाओं में निवेश की दिशा में गैर-व्यापारयोग्यों से हटकर पुनर्गठित किया जाना है। दूसरे, देशज बिक्री की तुलना में निर्यातों की सापेक्ष लाभप्रदता में सुधार करना होगा। इन दोनों पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमुख साधन विनिमय दर है जिसके संबध में कुछ विस्तार से चर्चा की गई है।

4.66 व्यापार मामलों में नियंत्रणों की सतत रूप से कटौती से विनिमय दर नीति के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरी है। इसका कठोरतापूर्वक, किन्तु विवेक के साथ इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है जिससे कि व्यापार निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि सतत और संधारणीय ढंग से प्राप्त की जा सके। चालू खाते में लगभग पूर्ण परिवर्तनशीलता और पूंजी खाते में भी आंशिक परिवर्तनशीलता लागू होने से विनिमय दर पहले ही अर्थव्यवस्था में विदेशी मूद्रा की

मांग और आपूर्ति के प्रति और अधिक संवेदी बन गई है। तथापि, इसमें सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप से समय-समय पर फेरबदल की जा सकती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वृहत आर्थिक नीति की अनिवार्यताएं पूरी हो जाएं। क्योंकि दसवीं योजना लक्ष्यों की प्राप्ति और वर्तमान तथा भावी विकास नीति में निर्यातों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए सुझाव है कि विनिमय दर को प्रमुख रूप से कम से कम एक ऐसे समय तक निर्यातों के आचरण को प्रभावित करने के एक साधन के रूप में देखा जा सके, जब तक कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत न कर दिया जाए और निर्यात इतने मजबूत न हो जाएं जो विनिमय दर तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ाव का सामना कर सकें।

4.67 विनिमय दर ,अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में न केवल देशज व्यापारयोग्यों की कीमत प्रतियोगिता की मात्रा को प्रभावित करती है बल्कि देशज अर्थव्यवस्था में गैर-व्यापारयोग्यों की तुलना में व्यापार-योग्यों की सापेक्ष लाभप्रदता भी निर्धारित करती है। वर्तमान संदर्भ में,दोनों ही कारक महत्वपूर्ण हैं और विनिमय दर नीति के संचालन में इन दोनों उद्देश्यों को शामिल करने वाले कुछ भिन्न विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर की दृष्टि से देशज कीमत मानक आय है,जो भारत में और विदेश में मुद्रास्फीति की भिन्न-भिन्न दरों के अनुसार सामान्य दर को समाहित करती है। नौवीं योजना के दौरान रुपए की निर्यातभारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर का काफी प्राचुर्य दर्शाता है और धीरे-धीरे वृद्धि की लंबी अवधियों के साथ तेज गिरावटों का मिश्रण किया है जिसका असर यह हुआ कि नौवीं योजना (2001-02) के अंत में आरईईआर, मार्च 1997 में अपने स्तर से 1.4 प्रतिशत ऊपर था जिसका अर्थ है कि विनिमय दर की वजह से भारतीय निर्यातों की

तालिका 4.12

विनिमय दर के सूचक

(आधार : 1997-98 = 100)

वर्ष	**एनईईआर**		**आरईईआर**		**डब्ल्यूपीआई/एनईईआर**	
	स्तर	**% परिवर्तन**	**स्तर**	**% परिवर्तन**	**स्तर**	**% परिवर्तन**
1997-98	100.00	-	100.00	-	100.00	-
1998-99	90.83	-9.17	94,66	-5.34	116.65	16.65
1999-00	88.63	-2.42	94.45	-0.22	123.45	5.83
2000-01	88.78	0.17	99.27	5.10	132.06	6.98
2001-02	89.35	0.64	102.10	2.85	135.94	2.94

टिप्पणी : (1) एनईईआर = साधारण प्रभावी विनिमय दर

= w (i). e (i) e

ftle : w (i). = x (i) / x

X(i) = इसकी मुद्रा में किया गया व्यापार

X = कुल निर्यात

e(i) = डॉलर के विपरीत,इसकी मुद्रा में विनिमय दर का सूचक प्रति डॉलर इसकी मुद्रा की यूनिटों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त

e = एक रुपए की तुलना में डॉलर के यूनिटों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त रुपए की विनिमय दर का सूचकांक

(2) आरईईआर = वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

= एनईईआर. [w(i).p/p(i)]

जिसमें p = भारत के संबंध में कीमत सूचकांक

p (i) = देश का कीमत सूचकांक

(3) डब्ल्यूपीआई = थोक कीमत सूचकांक (देशज)

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 2001-02 और वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, 2001-02

सापेक्ष कीमत प्रतियोगिता इसी सीमा तक कम हो गई है। यदि देशज अर्थव्यवस्था में गैर-व्यापारयोग्यों की तुलना में व्यापारयोग्यों के सापेक्ष आकर्षण पर विनिमय दर के प्रभाव पर विचार किया जाए तो स्थिति और भी खराब है। इसके लिए उपयुक्त उपाय आरईईआर नहीं है बल्कि केवल देशज मुद्रा स्फीति दर द्वारा समायोजित साधारण विनिमय दर है। इस उपाय में इसी अवधि के दौरान 35.9 प्रतिशत तक की काफी वृद्धि हुई है, जैसाकि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है। विनिमय दर का आचरण अर्थव्यवस्था के और अधिक निर्यात अनुस्थापन की दिशा में धीरे-धीरे बढ़ने के लिए प्रेरक नहीं है। दसवीं योजना के दौरान,विनिमय दर को देश की कीमतों के औसत स्तर की दृष्टि से जानबूझकर कम किए जाने की जरूरत है जिसका अर्थ दसवीं योजना अवधि के संबंध में मुद्रास्फीति की लक्षित दर को देखते हुए,सामान्य परिस्थितियों के तहत 5 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच में एक साधारण कमी करने का होगा। ऐसी विनिमय दर नीति से कुछ सीमा तक व्यापारयोग्य और गैर-व्यापारयोग्य वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों को लगभग अपरिवर्तित करते हुए व्यापारयोग्यों के प्रति पूर्वग्रह को ठीक किया जा सकता है और इस प्रकार, जीडीपी में व्यापारयोग्यों के हिस्से, कटौती को नियंत्रित करने के प्रयास सुकर हो सकते हैं। इससे आरईईआर में 2 से 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अंदर स्वतः ही कमी आएगी और यह माना जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति दर 3 से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य प्रवृत्ति दर से तेज नहीं होगी। इस प्रकार,विदेशी बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है।

4.68 एक ऐसा मत है जो कहता है कि विनिमय दर निर्यात संवर्धन का न केवल एक अनिश्चित साधन है बल्कि इसके लागत दबाव मुद्रास्फीति सृजित करने और विदेशी पूंजी अप्रवाहों को बाधक बनाने के नकारात्मक प्रभाव भी हैं और यह कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए कोटि, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में कार्यकुशलता तथा सुधारों में वृद्धि करने पर बल दिया जाना चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि दीर्घावधि में कार्यकुशलता,कोटि, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी का कोई प्रतिस्थापन नहीं है फिर भी इन्हें विकसित होने में समय लगता है और ये अल्पावधि से मध्यावधि के दौरान सरकारी नीति द्वारा सीधे ही प्रभावित नहीं हो सकते। ये प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण के साथ बढ़ती हुई प्रतियोगिता के सामान्य परिणाम के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में समय के दौरान धीरे-धीरे विकसित होने की उम्मीद है तथा सरकार केवल एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभा सकती है। तात्कालिक आवश्यकता नीतिगत पहलों के जरिए बाह्य अनुस्थापन की अधिक मात्रा को प्रोत्साहित करने की है,जिसके लिए विनिमय दर प्रमुख साधन है।

4.69 तथापि, विनिमय दर ह्रास के कथित नकारात्मक पहलुओं को नोट करना होगा। धीरे -धीरे कमी की नीति के विरूद्ध एक दलील यह है कि यह अंदर से स्फीतिकारक है और जब निर्यात या तो आयात निर्भर हों अथवा जब वे मांग की कम कीमत नम्यता का सामना कर रहे हों,तब ये किसी बड़े पैमाने पर निर्यात प्रेरित नहीं कर सकते। इस प्रकार, विनिमय दर गिरावट में सम्मिलत संतुलन, देशज मुद्रास्फीति में तेजी के नकारात्मक प्रभावों और एक निवल निर्यात विस्तार प्रभाव के बीच है। यह सच है कि सापेक्ष कीमत संरचना को बदलने के किसी भी प्रयास का स्फीतिकारी प्रभाव होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक अपनी सापेक्ष स्थिति को संरक्षित करने के प्रयास करते हैं। किन्तु कीमत सापेक्षों को बदलने का कोई भी प्रयास न करने की यह कोई बाध्यकर दलील नहीं है,जबकि एक विकास नीति के भाग के रूप में यह वांछनीय है। दूसरी ओर, इसके अन्तर्गत एक पूरक उपाय के रूप में कठोर स्फीतिकारी विरोधी रुख अपनाने की जरूरत पर बल दिया गया है जो किसी भी मामले में दसवीं योजना नीति का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त,भारतीय संदर्भ में इस बात के पर्याप्त आनुभाविक साक्ष्य मौजूद हैं कि विनिमय दर ह्रास का जबरदस्त निर्यात विस्तारक प्रभाव पड़ता है। यह प्रमुख रूप से इस तथ्य से पैदा होता है कि भारतीय निर्यात (डाली) में अभी भी भिन्न अथवा ब्रांडिड उत्पादों का हिस्सा बहुत कम होता है जो ऐसी श्रेणी की वस्तुएं हैं जो कि कम कीमतसंवेदी होती हैं और अधिकांश निर्यात मुख्य रूप से कीमत स्पर्धात्मकता पर निर्भर करते हैं। भारतीय निर्यात डाली की यह विशेषाता तत्काल भविष्य में जारी रहने की संभावना है और इससे एक सक्रिय विनिमय दर नीति का अनुश्रवण करने की जरूरत को बल मिलता है।

4.70 कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह आकर्षित करने के लिए एक स्थिर साधारण विनिमय दर प्रेरक है और मुद्रा ह्रास की किसी संभावना से विदेशी मुद्रा दृष्टि से मान्य प्रत्याशित प्रतिफल कम करके ऐसे प्रवाहों को बाधा पहुंच सकती है। किन्तु यह नोट किया जाना चाहिए कि यदि मुद्रास्फीति और वृहत आर्थिक असंतुलनों के कारण विनिमय दर का तालमेल समाप्त हो जाता है तो ह्रास की उम्मीद की जा सकती है और विनिमय दर के किसी लंबे

गैर-समायोजन से ऐसी उम्मीदों को केवल मजबूती मिलेगी जिसका परिणाम कम पूंजी प्रवाह और अंततः पूंजी निष्कासन हो सकता है। आवश्यकता वृहत आर्थिक संतुलनों को बनाए रखने के उपयुक्त नीतियां अपनाने की है न कि विनिमय दर की कृत्रिम पेगिंग की। इसके अलावा,विदेशी निवेश का वास्तविक लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि ये निवेश अंदरूनी शक्तियों और अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत वास्तविक कारकों के आधार पर प्राप्त हों, न कि मुद्रा की प्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न, छिपे हुए पूंजीगत लाभों के आधार पर। घटती मुद्रा का एक लाभ यह है कि ऐसी आकांक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला विदेशी निवेश न केवल कम अनुमानित होगा बल्कि इसके अपने हित में अधिक निर्यातोन्मुखी होगा जबकि निवेश का अधिक अंदरूनी अनुस्थापन साधारण विनिमय दर स्थिरता पर निर्भर करता है। एक प्रत्याशित ह्रास से उत्पन्न विद्यमान पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्गमन की संभावना ऐसी बाह्य पोर्टफोलियो देनदारियों के स्टॉक के किसी पर्याप्त निवल बहिर्गमन का जोखिम बहुत अधिक बढ़ने से पहले विनिमय दर प्रबंधन के प्रति भावी नीतिगत दृष्टिगत के स्पष्ट संकेत की तात्कालिकता को दर्शाती हैं।

4.71 तथापि, एक मुद्दा है कि क्या कुछ मध्यावधि लक्ष्य मूल्य प्राप्त करने के लिए विनिमय दर में धीरे-धीरे कमी लाई जाए अथवा उसका तेजी से अवमूल्यन किया जाए। यदि विनिमय दर नीति का प्राथमिक उद्देश्य इसके देशी पूंजी प्रवाहों को प्रभावित करने का है, तो सामान्यतः अवमूल्यन को प्राथमिकता दी जाएगी,क्योंकि इससे निर्यात को प्रोत्साहित करने में तत्काल सुधार होता है और विदेशी निवेशकों के बीच और अधिक कमी की आकांशाएं पैदा होने की संभावना कम होती है। किन्तु ऐसे उपाय से सामान्यतः अधिक निर्यात अनुस्थापन के प्रति एक सतत बदलाव की स्थिति सामान्य रूप से पैदा नहीं होती, विशेष रूप से जहां तक नए निवेशों के मामले का संबंध है। इसके लिए कहीं अधिक तेज स्फीतिकारीविरोधी उपायों की जरूरत है जो अल्पावधि में विरोधी हो सकते हैं क्योंकि लघु अवधि के अंदर राजकोषीय प्राचलों में पर्याप्त सुधार होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, और अधिक धीरे-धीरे विनिमय दर रुख से न केवल निर्यात की सापेक्ष लाभप्रदता में सुधार होता है बल्कि अवमूल्यन की तुलना में कम,किन्तु इससे समान रूप से व्यापारयोग्यों के पक्ष में और विशेष रूप से निर्यातयोग्यों के पक्ष में निवेश की पद्धति भी प्रभावित होती है। किन्तु इसके लिए सहायक वृहत आर्थिक नीतियों की दृष्टि से विशेष रूप से स्फीतिकारी आकांक्षाओं के सृजन को रोकने के लिए, जो क्रमिक कमी की प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकती हैं, कठोर प्रबंधन की आवश्यकता होगी। दसवीं योजना के उद्देश्यों को देखते हुए,बाद वाली नीति को अपनाना वांछनीय प्रतीत होता है और इस समय विद्यमान बाधाओं को कम करने और अंततः समाप्त करने के उद्देश्य के साथ नीतियों के जरिए विदेशी निवेश के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए।

4.72 हाल ही के वर्षों में विनिमय दर के आचरण के निर्धारण के संबंध में सरकार की क्षमता में पर्याप्त रूप से कमी आई है। वित्तीय पूंजी के अपेक्षाकृत बड़े संचलनों और मौद्रिक प्रतिबंध की जरूरत ने उस सीमा को बाधित किया है जिसके लिए विनिमय दर का उपयोग एक नीतिगत निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में वृहत आर्थिक नीति के एक साधन के रूप में विनिमय दर के महत्व को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार को ऐसी स्थितियां कायम करनी हैं जहां यह विदेशी मुद्रा बाजारों में एक सार्थक ढंग से हस्तक्षेप कर सकें। इसके लिए ईसीबी के संबंध में न केवल सीमा लगाना जो इस समय प्रचलन में हैं बल्कि करों व अन्य हतोत्साहनों के माध्यम से निवल एफपीआई प्रवाहों पर कुछ नियंत्रण करना भी अपरिहार्य प्रतीत होता है , कम से कम उस समय तक जब तक कि भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार पर्याप्त तीव्रता न प्राप्त कर ले और देश के विदेशी मुद्रा भंडार इतने अधिक न हो जाएं जो अनुमानित दबावों को वहन कर सकें। तथापि, एफडीआई के आप्रवाह पर ऐसे प्रतिबंध अनावश्यक हैं क्योंकि वे सामान्यतः भौतिक रूप से और प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं के रूप में, दोनों दृष्टियों से वास्तविक पूंजी आप्रवाहों से जुड़े होते हैं।

4.73 किन्तु विनिमय दर प्रबंध अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में निर्यात अनुस्थापन कायम करने के केवल एक साधन हैं। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयासों और भारतीय निर्यातों को विदेश में प्रतियोगीकी बनाने तथा साथ ही देशज बाजार में आयात प्रतिस्थापनों के साथ सापेक्ष बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसाकि पहले बताया गया है, दसवीं योजना में अर्थव्यवस्था के बड़े हितों और अन्य मोर्चो पर हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए,परिवर्तनों को सावधानीपूर्वक समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। दसवीं योजना अवधि के दौरान,विनिमय दर ह्रास की प्रक्रिया के जरिए व्यवस्थित किए जाने वाले देशज उद्योग को प्राप्त अतिरिक्त संरक्षण को देखते हुए यह परिवर्तन बिना किसी ज्यादा बाधा के किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष निर्यात नीतिगत पहल

4.74 नीतिगत सुधारों का उद्देश्य निर्यातों में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक परिवेश कायम करना है ताकि इसे उच्च आर्थिक वृद्धि करने के लिए एक साधन बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और देशज आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए, समय-समय पर बहुत सी नीतियां तैयार की गई हैं और हाल ही में निर्यात विकास को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें विकेंद्रीकरण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और विभिन्न अन्य उपायों के जरिए, जिनका उल्लेख एग्जिम नीति 2002 में किया गया है, कारोबार की लागत में कटौती करना शामिल है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, ध्यातव्य क्षेत्रकों,विनिर्धारण तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के जरिए निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। निर्यातों को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र कायम किए जा रहे हैं। पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात की, जो दस वर्षों से कम पुरानी हैं, अनुमति दे दी गई है। अधिक गुणवत्ता/ब्रांडिड वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईएसओ अथवा समकक्ष दर्जा प्राप्त करने वाले यूनिटों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दोहरी भारिता प्रदान की गई है। अन्य उपायों में कृषि निर्यात, बाजार सुलभता पहल, व्यवसाय एवं व्यापार सुविधा केंद्रों और व्यापार पोर्टलों की स्थापना,अग्रिम लाइसेंस स्कीम शुल्कमुक्त रुपया पुनर्भरण प्रमाणपत्र (डीएफआरसी) ,ड्यूटी हकदारी पासबुक(डीईपीबी) स्कीम आदि शामिल हैं।

4.75 एग्जिम नीति,2002 में निर्यात पर से सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) को हटा दिया गया है,सिवाए कुछेक संवेदनशील मदों के, जिन्हें राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से निर्यात हेतु रखा गया है। विस्तृत नीति के अन्तर्गत,कृषि क्षेत्रक, कुटीर और हस्तशिल्प तथा लघु क्षेत्रक शामिल हैं। कृषि संबंधी निर्यातों के बारे में प्रतिबंध हटाने के अलावा,प्रस्ताव है कि ताजे और संसाधित फलों,सब्जियों, फूल संबंधी मदों, कुक्कुट और डेरी उत्पादनों और गेहूं व चावल के उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन सहायता उलब्ध कराई जाए।

4.76 नीति में कुछेक क्षेत्रक विशेष पैकेजों में जवाहरात,चर्म और कपड़े, हस्तशिल्प व लघु उद्योग क्षेत्रक की अन्य मदों के लिए प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। खुलासा करने के लिए पैकेज में अशोधित हीरों के आयात पर सीमाशुल्क को शून्य प्रतिशत तक कम करना,अशोधित हीरों के लिए लाइसेंस समाप्त करना जिससे भारत को हीरों के संबंध में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलेगी; सादे जवाहरात के निर्यात के लिए मूल्य अभिवर्द्धन मानदंडों में 10 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की कमी और जवाहरात के निर्यात में तेजी से वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयास के एक अंग के रूप में सभी मशीनीकृत अजड़ित जवाहरात को केवल 3 प्रतिशत की मूल्य अभिवृद्धि के साथ निर्यात की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा, कतरनों और परिष्करणों के 3 प्रतिशत एफओबी मूल्य के शुल्कमुक्त आयात के विस्तार की दृष्टि से छूट दी गई है जो अभी तक चर्मवस्त्रों तक सीमित था, उसे सभी चर्म उत्पादों तक बढ़ा दिया गया है और कपड़ा क्षेत्रक के लिए अनेक अन्य लाभों में सभी प्रकार के मिश्रित फेब्रिकों के संबंध में डीईपीबी दरों की अनुमति देना शामिल है। यह नीति एक नया कार्यक्रम शुरू करने को भी दर्शाती है जिसका नाम कुटीर क्षेत्रक और हस्तशिल्पों पर विशेष बल कार्यक्रम है जो यह देखते हुए शुरू किया गया है कि भारत के निर्यात में लघु उद्योगों के उत्पादों का हिस्सा 50 प्रतिशत है।

4.77 पण्य निर्यातों के अलावा,सेवा क्षेत्रक से निर्यात बढ़ाने के लिए अपार गुंजाइश है क्योंकि भारत के पास उच्च दक्षता वाली जनशक्ति और एक बड़ा औद्योगिक आधार है। इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर,इंजीनियरी परामर्श,बैंकिंग,बीमा,पर्यटन आदि के लिए इसका दोहन किया जा रहा है। नीति का उद्देश्य वर्ष 2007 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के लगभग 45 बिलियन डॉलर के वर्तमान निर्यात को लगभग दुगना करके 80 बिलियन डॉलर से अधिक करना है।

4.78 यह भी घोषणा की गई थी कि समुद्रपारीय बैंकिंग यूनिटों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कायम करने की अनुमति दी जाएगी। ये यूनिटें वस्तुतः भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं होंगी किन्तु ये भारत में स्थापित होंगी। इन समुद्रपारीय बैंकिंग यूनिटों को उधार आरक्षण अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात की सामान्य आवश्यकताओं से छूट प्राप्त होगी। बैंक, अंतर्राष्ट्रीय दरों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिटों को और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ताओं को सुलभता प्रदान करेंगे। नीति के अन्तर्गत, निर्यातों के लिए विभिन्न ड्यूटी-निष्प्रभावन साधन, जैसे कि ड्यूटी हकदारी पासबुक(डीईपीबी) सम्मिलित हैं। निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तुएं (ईपीसीजी) तथा अग्रिम लाइसेंस जैसी अन्य सभी स्कीमें आदि किसी मूल्य प्रतिबंध के बिना विद्यमान कार्यक्षेत्र के साथ-साथ जारी रहेंगी। 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक के ईपीसीजी लाइसेंसों की 12 वर्षों की निर्यात दायित्व अवधि (पहले आठ

वर्ष की अवधि के विपरीत) होगी तथा पांच वर्ष की रियायती अवधि भी होगी। अनुसंधान और विकास, बाजार अनुसंधान भंडारगृह और विपणन ढांचे में उद्योग सहायता प्रदान करने के लिए मार्केट एक्सेस इनीशिएटिव(एमएआई) नामक एक योजनागत स्कीम शुरू की गई थी। इसके साथ ही, राज्यों द्वारा निर्यात प्रयास में भागीदारी की एक स्कीम,निर्यात हेतु ढांचागत विकास के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम, भी प्रोत्साहित की जा रही है। इसके अलावा,ग्रेडिंग और कोटि नियंत्रण पहलुओं और वैज्ञानिक पैकेजिंग पद्धतियों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानक/विनिर्देश प्रात किए जा सकें।

4.79 लातिन अमरीका, अफ्रीका और राष्ट्रकुल स्वतंत्र राज्य देशों(सीआईएस) को निर्यात प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभी तक बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उम्मीद है कि लातिन-अमरीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए फोकसः एलएसी कार्यक्रम के अतिरिक्त फोकस : अफ्रीका नामक एक नए कार्यक्रम से उपसहारा अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सीआईएस देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आने वाले वर्ष में फोकस : सीआईएस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

4.80 एक मध्यावधि निर्यात नीति 2002-07 जनवरी 2002 में घोषित की गई थी जिसका उद्देश्य मध्यावधि में निर्यात क्षेत्रक के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करना था जिसका प्रयोजन भारत की निर्यात डाली के सदंर्भ में हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों (अमरीका,जापान और ईयू) की आयात डालियों पर विशेष ध्यान देना और भारत के लिए फोकस प्रोड्क्टस और फोकस मार्किट्स खोजना है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु कुल 220 मदों और 25 बाजारों का भी निर्धारण किया गया है तथा संकेतात्मक क्षेत्रवार नीतियां तैयार की गई हैं। निर्यात नीति 2002-07 का लक्ष्य 2006-07 तक विश्व निर्यात में इसका हिस्सा 2000-01 में 0.67 प्रतिशत से 1 प्रतिशत प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में आधारभूत अड़चनों की घरेलू समस्या से निपटने की सतत आवश्यकता है जो मुख्यतः परिवहन समस्या और पत्तन सुविधाओं से संबधित है। इसके अलावा, हमारे निर्यातों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से डब्ल्यूटीओ अनुरूप सब्सिडियों,परिवहन कीमत पद्धति और व्यापक कर पद्धति,विशेष रूप से निर्यातकों के लिए,निर्यातोन्मुखी लघु उद्योगों को मजबूत बनाकर संभाव्य निर्यातकर्ताओं के लिए सूचना के प्रसार और विस्तार आदि की व्यवस्था की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक व्यापारिक उतार-चढ़ाव के अलावा,विकसित देशों में कुछेक व्यापारिक भागीदारों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के बारे में बातचीत करने की जरूरत है।

4.81 इस प्रकार, दसवीं योजना के दौरान निर्यातों के प्रोत्साहन को सुकर बनाने के उद्देश्य से कुटीर तथा हस्तशिल्प,हीरे और जवाहरात क्षेत्रकों के प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जकों, सेवा क्षेत्रक से निर्यात को, जिसमें इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी तथा परामर्श शामिल है, और बढ़ावा देने की जरूरत है। पहले से स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को निवेश संबंधी प्रतिबंधों,विशेष रूप से लघु क्षेत्र उद्योगों के आरक्षण,विदेशी इक्विटी सीमाओं,वास्तविक संपदा इत्यादि से और अधिक छूट दी जा सकती है। इन क्षेत्रों को व्यापारिक कामकाज के वास्ते पूर्णतः शुल्कमुक्त बस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और जहां तक व्यापारिक स्थितियों का संबंध हैं, इन्हें विदेश के रूप में समझा जा सकता है। निगमित आयकर व अन्य उत्पाद तथा सेवा करों के संबंध में छूट दी जा सकती है और उपयुक्त श्रमिक कानून इन बस्तियों पर लागू किए जा सकते हैं।

विदेशी निवेश

4.82 दसवीं योजना अवधि के लिए पूर्वानुमानित भुगतान शेष (बीओपी) स्थिति से, जो तालिका 4.9 में दर्शाई गई है,पता चलता है कि चालू खाता घाटा योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) तक जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होने की संभावना है। 1980 के दशक के उतरार्द्ध के अनुभव को देखते हुए, जिसके दौरान भारत ने 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक का चालू खाता घाटा देखा, जो 1991 में संकट में बदल गया,प्रस्तावित भुगतान परिदृश्य के चालू रहने के बारे में कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। दूसरी ओर एक मत ऐसा है जो यह कहता है कि चालू खाता घाटा परस्पर नीतिगत चिन्ता का मामला नहीं होना चाहिए और ध्यान केवल विदेशी देनदारियों के सार्वजनिक घटक तक सीमित रखा जाना चाहिए। दलील यह है कि निजी क्षेत्र से अपनी आंतरिक और बाह्य-दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों की स्थानिक क्षमता को पूर्णतः ध्यान में रखे जाने की उम्मीद की जा सकती है और इस प्रकार,सीएडी का निजी घटक आवश्यक रूप से दीर्घावधिक में स्व-समाधानकर्ता होगा। किन्तु यह उन देशों के लिए व्यवहार्य स्थिति नहीं है जिनकी मुद्राएं आरक्षित मुद्राएं नहीं हैं और निश्चित

रूप से उन देशों के लिए नहीं जिनकी मुद्राएं अपरिवर्तनीय हैं। किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में मौजूद छूट जोखिम और सामान्य असफलता के अलावा,इसका एक कारण यह है कि अलग-अलग निजी क्षेत्रक पर सामान्य रूप से अपनी स्थानिक बजट बाधा का मूल्यांकन देशज मुद्रा की दृष्टि से किया जाता है और न कि उस मुद्रा के आधार पर जिसमें देनदारियां मूल रूप में उठाई गई थीं। इस प्रकार, ऐसी संभावना विद्यमान है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडारों के चलने के साथ-साथ निजी व्यवहार्यता सह-विद्यमान रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, विशेष रूप से पूर्वएशियाई संकट ऐसे परिणामों के पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।

4.83 आर्थिक सुधारों से पहले जब विदेशी निवेश वस्तुतः अविद्यमान था,तब भारत के लिए संघारणीय सीएडी का अनुमान,जीडीपी का लगभग 1.4 प्रतशत लगाया गया था। विदेशी व्यापार और निवेश उदारीकरण से इन आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि विदेशी निवेश के साथ उसी स्तर का व्यवस्थित जोखिम नहीं होता, जैसाकि विदेशी ऋण के साथ होता है। इसलिए,कुल मिलाकर यह महसूस किया जाता है कि सीएडी पूर्वानुमान संधारणीय हैं बशर्ते कि विदेशी निवेश प्रवाह अपेक्षित मात्रा में आएं। इसके अलावा, दो कारक हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रथमतः विदेशी निवेशों की प्रकृति दीर्घावधि में ऋण पर ब्याज दर की तुलना में ऊंची दर पर प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। इसलिए, सीएडी लक्ष्य को ज्यादा बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं होगी जब तक कि एक विस्तारित अवधि के दौरान निर्यातों की अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि दर बनाए रखने में और सामर्थ्य में पर्याप्त विश्वास न हो। दूसरे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों की दृष्टि से भेद किए जाने की जरूरत है।

4.84 सामान्यतः,एफपीआई की अपेक्षा एफडीआई को प्राथमिकता दी जाती है। अंशतः क्योंकि इसके प्रतिफल वास्तविक अर्थव्यवस्था के निष्पादन के साथ निकट रूप से जुड़े होते हैं और अंशतः क्योंकि यह एफपीआई की तुलना में कम स्थिर होता है। इसके अलावा, एफपीआई प्रवाहों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हानि यह है कि यह इन अर्थों में चक्रीय के समान होते हैं, यह उस समय आते हैं जबकि भुगतान शेष की स्थिति मजबूत समझी गई है और भुगतान शेष की स्थिति असंतोषजनक होने की उम्मीद होने पर हट जाते हैं। इस प्रकार, यह भुगतान शेष के उतार-चढाव की दिशा को बढ़ाते हैं जिससे वृहत आर्थिक प्रबंधन में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भारत, जैसे देश में जहां अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की तुलना में कमजोर होते हैं, एक मुक्त एफपीआई व्यवस्था के साथ अनुमानित उतार-चढ़ाव का खतरा रहता है जिससे अर्थव्यवस्था में गंभीर बाधा पैदा हो सकती है।

4.85 किन्तु एफपीआई की तुलना में एफडीआई के सापेक्ष लाभ का एक और पहलू है,जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। एफडीआई, बचतों और विदेशी मुद्रा की सुलभता में न केवल कमियों को पूरा कर सकता है जो सभी विदेशी प्रवाहों के बारे में सत्य है बल्कि देशज उद्यमी क्षमता में कमजोरियों को भी पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, देश में निवेश कार्यकलाप को सीधे ही प्रोत्साहित करने में एफडीआई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जैसाकि अध्याय 2 में बताया गया है। ऐसी संभावना है कि निगमित निवेश कार्यकलाप इतना गतिशील न हो कि वह उपलब्ध संसाधनों को खपा सके, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें सरकारी क्षेत्रक द्वारा खाली किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, एफडीआई द्वारा किए जाने वाले उद्यमी कार्य का प्रभाव न केवल अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने पर पड़ सकता है बल्कि इससे घरेलू बचतों की भी बेहतर खपत हो सकती है। दूसरी ओर, विदेशी पूंजी के अन्य स्वरूपों पर प्रतबंधों के साथ एफडीआई की अपेक्षाकृत मुक्त सुलभता देशज उद्यमियों के लिए गंभीर रूप से अलाभकर हो सकती है। इसे न केवल अपेक्षाकृत निम्न लागत वाली विदेशी निधियों की सुलभता से निपटना होता है बल्कि देशज वित्त की सुलभता के लिए प्रतियोगिता की दृष्टि से भी निपटना होता है। इस अलाभकर स्थिति को एफपीआई द्वारा दूर किया जा सकता है जिससे देशज रूप से सूचीबद्ध कंपनियों को उपलब्ध नकदी में वृद्धि होती है। इस प्रकार,एफडीआई और एफपीआई के आप्रवाहों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन कायम करने की जरूरत है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त विदेशी उद्यमी, देशज उद्यमियों पर अत्यधिक दबाव डाले बिना देश में आएं। विदेशी प्रवाहों के विभिन्न रूपों के संबंध में तालिका 4.10 में दिए गए आंकड़े इन विचारों को प्रदर्शित करते हैं।

4.86 किन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विदेशी निवेश के ये आंकड़े लक्ष्य हैं और न कि पूर्वानुमान। प्रकृति से ही विदेशी निवेश इस दृष्टि से आपूर्ति प्रेरित होते हैं कि यद्यपि देश ऐसे निवेंश करने के लिए आकर्षक स्थितियां

निर्मित कर सकता है, किन्तु इस संबंध में निर्णय विदेशी निवेशक द्वारा लिया जाता है कि क्या निवेश किया जाए अथवा कितना। तथापि यह तथ्य सर्वमान्य है और विदेशी निवेश के संबंध में एक प्रेरक परिवेश का निर्माण करने के संबंध में काफी चर्चा की जा चुकी है। स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना वांछनीय होगा कि इस बात पर ज्यादा वाद-विवाद से जरूरी मुद्दा छूट जाएगा,अर्थात देश में सभी निवेश के लिए और न कि केवल विदेशी निवेश के लिए,निवेशक अनुकूल परिवेश कायम करने की जरूरत है। वस्तुतः,यह कहा जा सकता है कि यदि निवेश परिवेश में सामान्य रूप से सुधार हो जाए, तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग से किसी उपाय की जरूरत नहीं होगी। दूसरी ओर,यदि विदेशी निवेशकों के लिए विशेष और भिन्न-निवेश व्यवस्था कायम की गई,तो इससे वास्तव में फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है।

4.87 इसके अलावा, विदेशी निवेशकों के बारे में कुछ मात्रा में ध्यान देना होगा कि यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो इस बात के लिए कि वे अपरिचित स्थितियों में कार्य करेंगे। इसके दो पहलू हैं जो विशेष रूप से संगत हैं। पहला, संभाव्य विदेशी निवेशकों को,विशेष रूप से लक्ष्य बनाना होगा और कोशिश करनी होगी। यद्यपि भारत की विद्यमानता में हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रडार स्क्रीन में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है, फिर भी इसे मान लिए जाने से पहले काफी कुछ किया जाना है। यह अनेक क्षेत्रकों के संबंध में विशेष रूप से सच है जिनमें भारत की आवश्यकताएं अंतर्राष्ट्रीय निवेशक बोध के साथ भिन्न हो सकती हैं। भारी उद्योग इसका एक उदाहरण है, विशेष रूप से जो हाल ही तक सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए आरक्षित थे। दूसरे, उन कंपनियों के लिए एक प्रभावी निवेश सुविधा तंत्र के रूप में हस्तधारित प्रचालन अनिवार्य हैं जो देश में पहली बार प्रवेश करेंगे। कानूनों,नियमों और प्रक्रियाओं के साथ परिचित न होना एक बड़ी बाधा हो सकती है, विशेष रूप से एक ऐसे देश में जहां इन मामलों में काफी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं।

4.88 जहां तक एफपीआई का संबध है, इन मामलों में भी ऐसी ही बातें लागू होती हैं। विदेशी संस्थात्मक निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विशेष व्यवस्था अथवा सुविधा की तुलना में सरकार का देशज पूंजी बाजार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए,देशज पूंजी बाजारों को अधिशासित करने वाली विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा सुधारने पर और अपने कामकाज में प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। इस संबंध में पहले ही काफी प्रगति हुई है। किन्तु भारत में पूर्ण रूप से वित्तीय साधनों को लागू करने और नवीनताओं के संबंध में शीघ्रतापूर्वक अनुमति देने से पूर्व,अभी काफी कुछ किया जाना है। अंततः,इस बात की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है कि विदेशी निवेशक का विश्वास देशज निवेशक से भिन्न हो सकता है । इसलिए, अधिक मात्रा में एफपीआई आकर्षित करने की पूर्वापेक्षा देशज निवेशक की भारतीय पूंजी बाजारों में फिर से वापसी है।

विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे

4.89 भारत, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक संस्थापक सदस्य है तथा विश्व व्यापार संगठन की नियम आधारित प्रणाली में सहभागिता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभिशासन में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व,पारदर्शिता तथा पूर्वानुमान अन्तर्निहित है। बहुपक्षीय व्यापार के संवर्धन में विश्व व्यापार संगठन के महत्व को अधिकाधिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के बाजारों में हमारे निर्यातों के राष्ट्रीय व्यवहार तथा सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र (एमएफएन) के व्यवहार के रूप में अपृथक्करण परिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि अन्य सदस्य देशों को हमारे निर्यातों के साथ उनके देशीय उत्पादों की तुलना में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र का व्यवहार विभिन्न सदस्यों के बीच उनकी प्रशुल्क व्यवस्थाओं के तहत तथा साथ ही अन्य नियमों तथा विनियमों में भेदभावपूर्ण रहित व्यवहार सुनिश्चित करता है।

4.90 विभिन्न बहुपक्षीय मचों में निरंतर विचारविमर्श से प्रोद्भूत, व्यापार संबंधित मुद्दों के साथ-साथ विकासात्मक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्धनात्मक रूप से ध्यान संकेन्द्रण किया जा रहा है। विकास तथा व्यापार नीतियों के साथ-साथ विकासशील देशों के निर्धनता संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास नीतियों के साथ व्यापार नीतियों का एकीकरण करने, वित्त तथा ऋण राहत के क्षेत्रों को सहायतावर्धन करने, विकास हेतु प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करने,कपड़ा,वस्त्र तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में विकासशील देशों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने तथा इन देशों के लिए विवाद निपटान प्रक्रमों तक बेहतर सुगम्यता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। डम्पिंग रोधी प्रक्रिया के दुरूपयोग के मामले, उत्पन्न मानदंडों के नियमों की समस्या,

व्यापार के तकनीकी अवरोध,क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक इत्यादि पर भी विश्व व्यापार संगठन में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

4.91 भारत सरकार ने कुछ करारों, विशेषतः प्रशुल्क एवं मात्रात्मक प्रतिबंध करार, कृषि संबंधी करार (एओए), व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार,(टीआरआईपी)व्यापार संबंधित निवेश उपाय, (टीआरआईएम) सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीएस) के अन्तर्गत नीतिगत वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए दूसरों से पृथक,अनेक कदम उठाए हैं। तथापि, प्रशुल्क वार्ता के लिए एक नीति की आवश्यकता है। सरकारी अधिप्राप्ति प्रथाओं में पारदर्शिता,व्यापार तथा प्रतिस्पर्धा नीति,व्यापार तथा पर्यावरण तथा सिंगापुर एवं जिनेवा मंत्रालयीय में प्रस्तावित श्रम एवं व्यापार मानकों से संबंधित अतिरिक्त व्यापार-भिन्न मुद्दों पर वार्ता की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी वचनबद्धताओं श्रम मानकों तथा पर्यावरणीय एवं फाइटो सैनिटरी मुद्दों को शामिल करने वाली सामाजिक कार्यसूची के लिए भी एक मानकीकृत तथा पारदर्शी तरीके से कतिपय राष्ट्रीय मानक तथा तकनीकी विनियमों की स्थापना की आवश्यकता है।

4.92 इसके साथ ही, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके संबंध में सरकार ने कतिपय आपत्तियां व्यक्त की हैं। ये हैं :-

- विगत छः वर्षों में विश्व व्यापार संगठन करारों के कार्यान्वयन के दौरान,भारत ने विश्व व्यापार संगठनों करारों में कतिपय असंतुलनों तथा असमानताओं का अनुभव किया है। यह पाया गया है कि कुछ विकसित देशों ने विश्व व्यापार संगठन के करारों के अनुसार अपनी देयताओं का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया है, तथा विभिन्न विश्व व्यापार संगठन करारों में विकासशील देशों के पक्ष में जोड़े गए अनेक विशेष तथा परिवर्ती व्यवहार धाराएं अप्रचालनात्मक रही हैं।
- विश्व व्यापार संगठन में उपबंधित अपवाद खंड का लाभ उठाते हुए अधिकांश औद्योगिकीकृत देश अभी भी विदेशी उत्पादकों तथा संभरकों पर विभिन्न विनियम लागू कर रहे हैं।
- विश्व व्यापार संगठन में निवेश व्यवस्था के क्षेत्र को व्यापार संबद्ध निवेश उपायों (टीआरआईएम) तथा सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करारों (जीएटीएस) से परे विस्तारित करना उचित नहीं है।
- एक बहुपक्षीय ढांचा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाहों में वृद्धि की गारंटी नहीं दे सकता, यद्यपि इससे अंतर्प्रवाहों की गुणवता पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का खतरा है।
- कुछ अन्य असमानताएं भी विद्यमान हैं क्योंकि विश्व व्यापार संगठन निगमों के उत्तरदायित्वों का निवारण नहीं करता जो अकसर अपनी सहायक कंपनियों पर व्यापार प्रतिबंधक धाराएं आरोपित करती हैं।
- विश्व व्यापार संगठन, श्रम तथा पर्यावरणीय तत्वों की, जिनमें कतिपय सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली योजनाओं में इन मुद्दों के साथ संबंध समाहित है इन मुद्दों पर आरोपित किए जा रहे व्यापार-भिन्न अवरोधों की समाप्ति सुनिश्चित नहीं कर पाया है।

4.93 वर्तमान वार्ता नीति दोहा मंत्रालयी में नवम्बर, 2001 में लिए गए निर्णयों पर आधारित है। दोहा घोषणा का केंद्र मुख्यतः व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार करार, जन स्वास्थ्य, व्यापार तथा पर्यावरण एवं संबंधित मुद्दों तथा विषयों का क्रियान्वयन था। कृषि तथा सेवाओं एवं अन्य मुद्दों में वर्तमान वार्ताओं के लिए कार्य कार्यक्रम संबंधी विस्तृत समय सूचियां तैयार की गई हैं।

4.94 भारत के लिए दोहा सम्मेलन ने मिश्रित परिणाम प्रस्तुत किए। भारत की मुख्य चिन्ता विभिन्न करारों के क्रियान्व्यन को त्वरित करना तथा विश्व व्यापार संगठन के कुछ करारों में विद्यमान असंतुलनों तथा असमानताओं को समाप्त करना था। भारत के दृष्टिकोण से, संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देशों द्वारा अनुरक्षित वस्त्र कोटा को अधिक शीघ्रता से हटाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियान्वयन मुद्दा था, किन्तु इसमें सीमित सफलता प्राप्त हुई। जहां तक पर्यावरणात्मक मुद्दों का संबंध है, दोहा घोषणा में बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों के आलोक में विश्व व्यापार संगठन नियमों को स्पष्ट करने के लिए वार्ताओं के आदेश दिए गए हैं। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संरक्षण के आधार पर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से माल के प्रति बाधाओं को हटाना पड़ सकता है। भारत की चार नए व्यापार-भिन्न क्षेत्रों, नामतः बहुपक्षीय निवेश, प्रतिस्पर्धा संबंधी वैश्विक नियम, सरकारी अधिप्राप्ति तथा व्यापार सरलीकरण में पारदर्शिता, अर्थात माल के समाशोधन के लिए एकसमान सीमाशुल्क प्रक्रियाओं का सृजन संबंधी वार्ताएं आरंभ करने के संबंध में भी कुछ शर्ते थी। भारत केवल द्विवर्षीय राहत प्राप्त कर सका

तथा अध्ययन प्रकिया दो और वर्षों तक अर्थात पांचवें सरकारी सम्मेलन तक जारी रहेगी जब स्पष्ट सर्वसम्मति के आधार पर वार्ताओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

4.95 कृषि तथा सेवाओं में जहां प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है,आदेशित वार्ताओं के अलावा, कृषि -भिन्न उत्पादों के लिए बाजार प्रवेश संबंधी वार्ताएं भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रशुल्कों, चरम प्रशुल्क तथा प्रशुल्क मूल्यवृद्धि में कमी या इनकी समाप्ति, प्रशुल्क भिन्न अवरोधों को हटाया जाना निर्यातों में काफी सहायक होगा। फिर भी भारत को पेशकशें करनी होंगी,यद्यपि जहां तक विकासशील देशों का संबंध है, वार्ताओं के लिए पूर्ण अन्योन्यता प्राप्त नहीं होगी।

4.96 अन्य क्षेत्र जहां कार्रवाई की आवश्यकता है,टीआरआईपी के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत शराब तथा स्पिरिट से भिन्न अन्य उत्पादों के लिए भौगोलिक निर्दिष्टियों के संरक्षण के विस्तार तथा जैव विविधता संबंधी अभिसमय (सीबीडी) तथा अनुच्छेद 71.1 के अंतर्गत पारम्परिक ज्ञान (टी के) तथा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के बीच संबंध से जुड़े हैं। भौगोलिक निर्दिष्टियों के संबध में विधान की प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है। टीआरआईपी तथा चिकित्सा की सुलभता के क्षेत्र के संबंध में, जहां अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा समानांतर आयातों के अनुसार पृथक मंत्रालयी घोषणाओं में अतिरिक्त नम्यता प्रदान की गई है, भारत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधों की निम्न कीमतों के रूप में तथा भेषज उत्पादों का निर्यात संवर्धन करके भी लाभान्वित हो सकता है।

4.97 भारत तथा अन्य विकासशील देशों को अब इन वार्ताओं में अन्योन्यता का औसत संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ जटिल मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के साथ-साथ हमारे घरेलू संसाधनों तथा अन्य दबावों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक सतत प्रयास की आवश्यकता है। इनमें से कुछ मुद्दों की करारों के पाठ के संदर्भ में संक्षेप में जांच की जा रही है जिनमें से कुछ को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य वार्ताओं के लिए प्रस्तावित हैं।

कृषि के संबंध में करार

4.98 कृषि संबंधी करार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सहित कुछ व्यापार-भिन्न विषयों को भी विचार में लेते हुए सदस्य देशों के बीच कृषि में व्यापार के लिए एक साम्यापूर्ण सुधार कार्यक्रम को अपनाना है। यह स्वीकार किया गया है कि अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि एक जीवनमार्ग है। इन देशों के समग्र सकल घरेलू उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है तथा इसमें कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा नियोजित है। कृषि विकास नीतियों का उद्देश्य कृषि क्षेत्रक में उत्पादकता तथा समग्र उत्पादन को बढ़ाना है। इन अर्थव्यवस्थाओं में कृषि की तीव्र वृद्धि, खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए अनिवार्य है। एफएओ द्वारा खाद्य सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "सभी व्यक्तियों के लिए सदैव एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन हेतु वास्तविक आर्थिक सुलभता जिसमें ऐसी पहुंच को खोने का जोखिम न हो तथा इस प्रकार यह विकासशील देशों में आजीविका के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है"। इस पृष्ठभूमि में, कृषि संबंधी करार के अर्न्तगत की गई वचनबद्धताओं से यह सुनिश्चित किया जाना प्रत्याशित है कि विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हित बाजार पहुंच तथा घरेलू समर्थन के विषय क्षेत्रों से सबंधित हैं।

4.99 कृषि संबंधी करार के अन्तर्गत वचनबद्धताएं मुख्यतः उत्पादन विशिष्ट तथा गैर-उत्पाद विशिष्ट घरेलू सहायता,बाजार पहुंच तथा निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता से संबंधित हैं। उत्पाद विशिष्ट सहायता, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशियों,ऋण, बिजली इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता के रूप में किसानों को दिए गए समष्टि सहायता उपाय(एएमएस) से संबंधित है। एएमएस का परिकलन, बाजार सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए किया जाता है तथा यह आधार अवधि 1986-88 में प्रवृत्त मूल्यों पर आधारित है। एएमएस परिकलनों से आर्थिक सहायता की अनेक श्रेणियों को छूट दी गई है जैसे अनुसंधान कार्यक्रम, कीट तथा रोग नियंत्रण, प्रशिक्षण सेवाएं, विस्तार तथा परामर्शी सेवाएँ, विपणन तथा संवर्धनात्मक सेवाएं तथा अवसंरचना विकास के लिए आर्थिक सहायता। इसके अलावा,सहायता के कथित ग्रीन बाक्स क्षेत्र,उत्पादन प्रतिबंधक कार्यक्रमों के लिए भुगतान तथा साथ ही असंबद्ध आय सहायता को छूट दी गई थी।

चिन्ता के मुद्दे

4.100 कृषि संबंधी करार के अन्तर्गत ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्हें भारत जैसे विकासशील देशों के हितों के प्रतिकूल समझा जाता है। प्रथमतः, यह प्राथमिक वस्तुओं के आयात के लिए न्यूनतम पहुंच से संबंधित है जो विश्व व्यापार संगठन करार

के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित मुक्त व्यापार संवर्धन के आधारभूत नियम के उल्लंघन में है। कृषि के लिए सरकारी बजटीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अध्यधीन है। ग्रीन बाक्स आर्थिक सहायता तथा साथ ही निर्यात संबंधी आर्थिक सहायताओं के अनुमत्य होने के लिए पारदर्शी रूप से अभिज्ञात होना आवश्यक है जबकि शेष विश्व व्यापार संगठन द्वारा अभियोज्य हैं। बहरहाल,जो भी हो, ब्लू बाक्स तथा ग्रीन बाक्स आर्थिक सहायताएं, जिन्हें लघुकरण वचनबद्धताओं से छूट प्राप्त हैं, व्यापार में विकृतियां उत्पन्न करती हैं। भारत जैसे विकासशील देश द्वारा, जहां निम्न लागत वाले कृषिय उत्पादक हैं, इस पर बल दिया गया है।

4.101 कृषि संबंधी करार के क्रियान्वयन के अनुभव के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि करार ने विकसित देशों की विभिन्न व्यापार विरूपण प्रथाओं को उनके पक्ष में वैध बना दिया है। इसके अतिरिक्त, इसने विकासशील देशों को कुछ सीमित निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता देने के अधिकार को भी छीन लिया है जो कि अन्यथा आर्थिक सहायता तथा प्रतिकारी उपाय करारों के अन्तर्गत उपबंधित है। अपनी कथित लघुकरण वचनबद्धताओं को पूरा करने के बावजूद,ओईसीडी देशों में कृषि को दी जा रही कुल सहायता वर्ष 1988 में308 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 1999 में 361 बिलियन डॉलर हो गई है।

4.102 एक अन्य समस्या भिन्न आधार स्थितियों के कारण घरेलू आर्थिक सहायता विषय क्षेत्र में असमानता से प्रोद्भूत विरूपणों से संबंधित है। विकसित देशों को, जो अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त देश हैं, अपनी सब्सिडी का 80 प्रतिशत तक प्रतिधारित करने की अनुमति दी जाती है जबकि विकासशील देश अपने किसानों को कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिंशत की सब्सिडी दे सकते हैं। विकसित देशों द्वारा घरेलू सहायता में निरपेक्ष रूप से पर्याप्त कमी की जानी आवश्यक है।

4.103 खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ शिथिल किए गए घरेलू सहायता उपाय केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य तथा लक्षित जनता के संबंध में ही अनुमत्य हैं। गरीब जनता की उच्च प्रतिशतता वाले तथा साथ ही कृषि पर निर्भर भारत जैसे देशों के लिए यह एक समस्या है जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर कृषि उत्पादों की खरीद प्रतिकूल परिणामों के बिना संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल कृषिय अर्थव्यवस्था वाले सघन आबादी वाले देशों के लिए आजीविका सुरक्षा के साथ अंतः संबंधित खाद्य सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इन देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा,ग्रामीण रोजगार तथा आजीविका संबंधी विषयों की देखरेख करने के लिए कृषि संबंधी करार के अन्तर्गत पर्याप्त नम्यता की आवश्यकता होगी।

4.104 भारत ने यह तर्क भी दिया है कि हमारे जैसे निम्न आय विकासशील देशों को बाजार पहुंच तथा घरेलू सहायता नियमों का इस प्रकार उपयोग करना है कि उनकी खाद्य आवश्यकताओं की मूलतः पूर्ति घरेलू स्रोतों से हो जाए। गतिशील अंतर्राष्ट्रीय बाजार, घरेलू अर्थव्यवस्था में संचारित हो सकता है तथा खाद्यान्नों की कीमतों तथा गरीब की भोजन हकदारियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। गेहूं,मोटे अनाज,खाद्य तेल, चीनी,डेयरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों जैसी वस्तुओं,जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, के लिए विकसित देशों द्वारा निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के उच्च स्तरों की समतुल्यता करना आवश्यक होगा। यह सुझाव दिया गया है कि विकासशील देशों में कृषि के विकास के लिए ग्रीन बाक्स आर्थिक सहायता के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन फसलों को निविष्टि आर्थिक सहायता अनुमत्य की जानी चाहिए जहां उत्पादकता स्तर विश्व औसत से नीचे है। नकारात्मक उत्पाद विशिष्ट सहायता की अनुमति दी जाए जिसे गैर उत्पाद-विशिष्ट सहायता के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

4.105 चिन्ता का एक अन्य मुद्दा कृषीय वस्तुओं के लिए प्रशुल्क व्यवस्था में परिवर्तनों के कार्यान्वयन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमरीका,कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया तथा कैर्नस समूह जैसे देशों में कृषीय वस्तुओं पर चरम शुल्क अत्यधिक उच्च दरों पर प्रवृत्त रहना जारी है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार एवं विकल्प संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)(1997) के साथ संचालित एक अध्ययन में यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के चरम शुल्कों का 1/5वां हिस्सा, यूरोपीय संघ के चरम शुल्कों का एक चौथाई हिस्सा, जापान के चरम शुल्कों का लगभग 30 प्रतिशत तथा कनाडा के चरम शुल्कों का लगभग 1/7वां हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक है। इसने आगे सूचित किया है कि विकासशील देशों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रशुल्क दरें उच्चतम हैं तथा इनमें प्रमुख कृषिय रेशेदार खाद्य पदार्थ, अनाज, गोश्त, चीनी,दूध,मक्खन तथा पनीर एवं तम्बाकू उत्पाद तथा सूत शामिल हैं। वस्तुतः अध्ययन में यह सुझाया गया है कि प्रशुल्क तीव्रीकरण,जो विकासशील देशों को विविधीकरण

से तथा संसाधित कृषि निर्यातों के अपने अंश को बढ़ाने से रोकने वाला एक प्रमुख घटक है, के कारण प्रशुल्क वेज पर्याप्त रूप से उच्च जारी रहेंगे।

4.106 भारत में कृषि प्रशुल्क इन देशों की तुलना में काफी कम हैं यद्यपि औद्योगिक तथा खनन प्रशुल्क दरें अभी भी अपेक्षाकृत काफी उच्च हैं। विकसित देशों में कृषि वस्तुओं के लिए चरम दरों के बारे में वार्ता करने की आवश्यकता है। इन प्रशुल्क दरों को पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्रवृत्त दरों के समनुरूप लाने के लिए उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है।

4.107 इसके अतिरिक्त, विगत में विक्रेय अतिशेष के उत्पादन के लिए नियोजित संसाधनों के साथ-साथ उत्पादकों के अपसरण के लिए उत्पादन-प्रतिबंधक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकसित देशों के सहायता पैकेज अभी भी आर्थिक सहायता विषय के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। इसके संबंध में पुनः वार्ता किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, विकासशील देशों के कृषि निर्यातकों द्वारा आयात पहुंच अधिकारों का मामला है जिन्हें विकसित देशों में फाइटो सैनिटरी विनियमों के आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक फाइटो सैनिटरी मानदंड स्थापित किए जाएं ताकि इस तर्काधार पर विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी उपायों को रोका जा सके।

4.108 इनमें से कुछ चिन्ताओं पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा नवम्बर, 2001 में दोहा सरकारी बैठक में यथेष्ट विचार किया गया है। घोषणा में विकासशील देशों के लिए बाजार प्रवेश में सुधार हेतु व्यापक वार्ताओं के साथ विकसित देशों द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता तथा अन्य घरेलू सहायता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की वचनबद्धता की गई है। भारत जैसे देशों की खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास जैसी विकासात्मक आवश्यकताओं को नोट कर लिया गया है। तथापि, व्यापार तथा पर्यावरण के मुद्दे तथा कृषि पर अतिक्रमण करने वाले पहलुओं को वार्ताओं में कम सफलता प्राप्त हुई। भारत द्वारा वर्ष 2004 से अपनी वचनबद्धता के क्रियान्वयन की आवश्यकता के अलावा मैक्सिको मंत्रालयी बैठक से पूर्व वार्ताओं की निरंतर आवश्यकता है।

4.109 यह महत्वपूर्ण है कि कृषि में वर्धित दक्षता के माध्यम से उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के लाभ उठाने तथा विकसित देशों द्वारा सैनिटरी एवं फाईटो सैनिटरी उपायों से उत्पन्न प्रतिबंध का सामना करने के लिए उपाय किए जाएं। वर्धित निवेशों तथा भूमि सुधारों से दक्षता में अत्यंत वृद्धि होगी। साथ ही सैनिटरी तथा फाइटो सैनिटरी उपायों को लागू करने के साथ कृषि उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण करने वाले कृषिक-भोजन, बागबानी तथा पुष्पोत्पादों एवं फार्म उत्पादों में विविधीकरण करने से इस क्षेत्रक से निर्यात संवर्धन में सहायता मिल सकती है।

व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार (टीआरआईपी)

4.110 व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों पर करार की शुरूआत विश्व व्यापार संगठन करारों में की गई थी तथा इसमें नवाचार हेतु प्रतिफल प्रदान करने के लिए विशिष्ट अधिकारों के जरिए संरक्षण शामिल है। साथ ही, एक ओर प्रवर्तक के हित तथा दूसरी ओर प्रयोक्ताओं के हित के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। इससे प्रौद्योगिकीय नवाचार के संवर्धन में तथा साथ ही ज्ञान के उत्पादकों तथा प्रयोक्ताओं के पारस्परिक लाभ के लिए प्रसार में योगदान मिलने तथा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का संवर्धन होने की आशा की जाती है। करार में प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक निर्दिष्टताएं, औद्योगिक अभिकल्प, पेटेंट, एकीकृत सर्किटों के रूपरेखा अभिकल्प तथा प्रकट न की गई सूचना शामिल है। टीआरआईपी का क्रियान्वयन निर्धारित कानूनों तथा विनियमों के जरिए किया जाता है तथा सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके कानून उनके उल्लंघन की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई करें।

चिन्ता के मुद्दे

4.111 भारत जैसे विकासशील देश, जो अनिवार्यतः प्रौद्योगिकी याचक हैं, विकसित देशों में प्रौद्योगिकी धारकों के साथ अपने वाणिज्यिक संव्यवहार में कठिनाइयों का सामना करते हैं। बाजार विकृतियों के अलावा इन विकासशील देशों के पास प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए समुचित कानूनी व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अपर्याप्त अनुभव तथा कौशल होता है। तीसरे विश्व की संवेदी वैज्ञानिक घटनाएं प्रौद्योगिकीय अंतरण, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण बाधित हुई हैं।

4.112 व्यापार संबंधित बौद्धिक अधिकारों के करार तथा जन स्वास्थ्य संबंधी घोषणा में विकासशील देशों को आक्रांत

करने वाली जन स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अपनी जन स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करने का अधिकार है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि भेषजों की विनिर्माणकारी क्षमताओं के विकास का संवर्धन करने के लिए औषधों तक पहुंच के संबंध में प्रतिबंधक नीतियों के बिना विकासशील देशों को नई औषधों का प्रौद्योगिकीय विकास संम्प्रेषित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, एचआईवी/एड्स,मलेरिया, क्षय रोग इत्यादि जैसी देशांतरगामी महामारियां के उपचार में प्रयुक्त भेषजों तथा चिकित्सा उपचारों की सुगम्यता तथा साथ ही सब के लिए उनकी वहनीयता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

4.113 यह सुझाव दिया गया है कि यद्यपि पेटेंट द्वारा प्रदत्त विशिष्ट अधिकार नई तथा प्रभावी औषधों के अनुसंधान एवं विकास में आगे और निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हैं, तथापि जीवन-संतर्जक रोगों के मामले में विशिष्ट अधिकारों के संबंध में पृथक रूप से एक भिन्न स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे रोगों के लिए अधिकांश जनसंख्या को वहनीय दरों पर औषधियों तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है, विशेषतया उन देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय कम है तथा स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय अत्यधिक अल्प है। दोहा घोषणा में व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों तथा जन स्वास्थ्य पर एक सुनिश्चित वक्तव्य दिया गया तथा जन स्वास्थ्य का संरक्षण करने तथा औषधियों तक सबकी पहुंच को संवर्धित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकारों पर बल दिया गया।

4.114 भारत में जन स्वास्थ्य के संबंध में व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में किए गए दूरगामी परिवर्तनों के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जनता के स्वास्थ्य स्तर में सुधार भारत के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के प्रमुख ध्यानाकर्षक क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा स्वास्थ्य देखभाल तक वर्धित पहुंच के परिणामस्वरूप मृत्युदर में तीव्र गिरावट आई है किन्तु संक्रामक रोगों तथा असंक्रामक रोगों के कारण रोग का भार तथा पोषण की समस्याएं उच्च बनी हुई हैं। इस तथ्य के बावजूद कि देशभर में अवसरंचना के सृजन तथा जनशक्ति के लिए मानदंड एक समान हैं, राज्यों तथा जिलों के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य सूचकांकों में पर्याप्त अंतर हैं। स्वास्थ्य की समस्या तथा टीआरआईपी के अन्तर्गत घोषणा के प्रभाव का पुनः मूल्यांकन दसवीं योजना में किया जाना आवश्यक है।

4115 गरीब देशों में औषधियों तक पहुंच को बढ़ाने का एक तरीका विकसित तथा विकासशील देशों में औषधों के परिवर्ती कीमत निर्धारण के माध्यम से है। कुछ प्रमुख कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों का इस तरीके से कीमत निर्धारण कर रही हैं। तथापि, एक और व्यापक तथा स्थायी परिवर्ती कीमत निर्धारण व्यवहार्य बनाया जा सकता है बशर्ते कि एक सही वैधानिक,तकनीकी तथा राजनैतिक माहौल सुनिश्चित किया जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है टीआरआईपी के करार की वार्ताओं में पाए गए संतुलन का आदर करने के महत्व तथा स्वास्थ्य के मामलों के प्रति अनुक्रिया हेतु अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा समानांतर आयातों के संबंध में इसमें विद्यमान लचीलेपन का उपयोग करने के विकासशील देशों के अधिकारों के महत्व को स्वीकार करना। व्यापार संबंधित बौद्धिक अधिकारों का करार समानांतर आयातों के प्रतिरोध के जरिए बाजारों का विखंडन करने के विरूद्ध भी नहीं है। तथापि, भारत में वर्धित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

4.116 पारम्परिक चिकित्साशास्त्र (टीएच) विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल में एक संवेदी भूमिका निभाता है अथवा अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा चिकित्साशास्त्र तक पहुंच विकासशील देशों में सीमित हो सकती है। इस प्रकार पारम्परिक चिकित्सा निर्धन लोगों तथा दूरस्थ समुदायों में उपलब्ध एकमात्र वहनीय उपचार बन जाता है। बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अन्तर्गत पारम्परिक चिकित्साशास्त्र के संरक्षण से कुछ मुद्दे उठते हैं जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह सीमा है जहां तक मौजूदा बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रणाली को संरक्षित करना व्यवहार्य है। पारम्परिक चिकित्साशास्त्र के कतिपय पहलू पेटेंट अथवा अन्य बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में शामिल हो सकते हैं। संरक्षण की अद्वितीय प्रणालियां विकसित करने के अनेक प्रस्ताव किए गए हैं। ऐसे प्रस्ताव इस तर्क पर आधारित हैं कि यदि नवाचार की औपचारिक प्रणाली में प्रवर्तकों को बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के जरिए क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो पारम्परिक ज्ञान के धारकों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए।

4.117 अमौलिक नवाचारों (विशेषतः पारम्परिक औषधियों से संबंधित),जो पहले ही विकासशील विश्व के पारम्परिक

ज्ञान का भाग बन चुके ज्ञान पर आधारित हैं, को पेटेंट प्रदान करना विकासशील विश्व के लिए एक भारी चिन्ता का कारण बना हुआ है। तीसरे, विश्व की सरकारों तथा जनता के सदस्यों की विकासशील विश्व की पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों में अमौलिक खोजों के लिए पेटेंट प्रदान करने के बारे में चिन्ता सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमौलिक खोजों के संबंध में पेटेंट प्रदान करने का विरोध करने के लिए पर्याप्त समर्थन है। वस्तुतः खोज में प्रयुक्त जैवविज्ञानी सामग्री के मूल के स्रोत का प्रकटन करने तथा मूल देश की सहमति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बीज विविधता के लिए पेटेंट अधिकारों के साथ ज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है जहां इतनी अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दोहा मंत्रालयीय घोषणा ने व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों तथा जैव-विविधता संबंधी अभिसमय के बीच समनुरूपता को व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के करार की अपनी समीक्षा के दौरान ध्यान में रखा।

4.118 घरेलू मोर्चे पर,भारत में उत्पाद पेटेंट करने का तत्काल क्रियान्वयन करने की आवश्यकता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। पारम्परिक ज्ञान क्षेत्रों का विस्तृत प्रलेखन यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा पारम्परिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब कोई विदेशी उत्पाद भारतीय संसाधनों तथा भारतीय चिकित्सीय ज्ञान पर आधारित हो तो भारत के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अतः,(त) विदेशों में भारतीय पेटेंट को सुकर बनाने,(त्त) विदेशी कंपनियों को भारतीय मूल की मदों के संबंध में विशिष्ट विपणन अधिकार तथा पेटेंट प्राप्त करने से रोकने,(त्त्त) भारतीय उपभोक्ताओं, विशेषतः भेषज उत्पादों के तथा किसानों को शोषण से बचाने के लिए परिष्कृत सूचना प्रसार,(त्थ) वकीलों, वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों के परामर्श से बेहतर विवाद निपटान तंत्र तथा (द) संगठित संस्थाओं तथा बीज अर्थव्यवस्था के अनुवीक्षण के माध्यम से परिष्कृत जैव विविधता के लिए एक पृथक सरकारी निकाय की आवश्यकता है।

व्यापार संबंधित निवेश उपाय,निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार तथा सिंगापुर मुद्दे

4.119 व्यापार संबंधित निवेश उपायों संबंधी करार मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेशन(टीएनसी) के माध्यम से होने वाले माल व्यापार पर प्रयोज्य है। इस करार का लक्ष्य किसी उद्यम द्वारा प्रयोज्य शर्तों का संरक्षण करना था, यथा घरेलू मूल के उत्पादों की खरीद या उपयोग, उत्पादों की प्रमात्रा या मूल्य तथा स्थानीय उत्पादन की न्यूनतम प्रतिशतता,आयातित उत्पादों की खरीद या उपयोग, निर्यात शर्तें इत्यादि। इसी प्रकार, विदेशी निवेश पर मेजबान देशों द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को भी इस करार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया। व्यापार संबंधित निवेश उपायों में उद्योगों में विदेशी इक्विटी सहभागिता तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निवेश के सरलीकरण का मुद्दा शामिल नहीं है। करार में निर्यात निष्पादन अपेक्षाओं का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध शामिल नहीं हैं। विदेशी तथा घरेलू कंपनियों के लिए सरकार की व्यापार नीतियां एकसमान होने की आशा की जाती है।

4.120 विकासशील देश, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों (टीएनसी) को आमंत्रित करते हैं। उनकी प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए निष्पादन खंड जोड़े गए थे। इसके परिणामस्वरूप विरोध हुआ था क्योंकि टीएनसी तथा मेजबान देशों के बीच समुचित आचरण संहिता तैयार नहीं की गई थी। इस पृष्ठभूमि में विश्व व्यापार संगठन में उस समस्या का सामना करने के लिए यह करार प्रवृत्त किया गया जो टीएनसी के माध्यम से होने वाले विदेशी निवेश तथा माल व्यापार पर अनेक देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। तथापि,चूंकि टीएनसी के प्रचालनों पर नियंत्रण को हटाया जाना इस करार के अर्न्तगत अपेक्षित था,यह महसूस किया गया है कि विकासशील देश विदेशी मुद्रा प्रवाहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना प्रौद्योगिकीय तथा वित्तीय सहायता की अपेक्षा वाले संवेदी क्षेत्रों की ओर अपने प्रचालन निदेशित करने की स्थिति में नहीं होंगे। विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के महत्व का अल्पाकलन नहीं किया जा सकता किन्तु निवेशों के प्रवाहों की चयनात्मकता अभी भी प्रासंगिक है जैसाकि चीन की विदेशी निवेश नीति से सीखा जा सकता है (कुछ अफ्रीकी तथा यहां तक कि लेटिन अमरीकी देशों की नीतियों की तुलना में)।

4.121 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से ही कतिपय सदस्य इसकी कार्यसूची में व्यापार - भिन्न मुद्दों की शुरूआत करने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगापुर में 1996 में प्रथम शासकीय सम्मेलन में, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसे सदस्यों ने कार्यसूची में निवेश तथा प्रतिस्पर्धा नीति को शामिल करने पर जोर दिया ताकि इन मुद्दों पर नियमों का बहुपक्षीय सेट

बनाया जा सके। सिंगापुर में भारत के नेतृत्व में विकासशील देश, निवेश तथा प्रतिस्पर्धा नीति संबंधी कार्य को व्यापार तथा निवेश संबंधी कार्य दलों तथा व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा नीति संबधी कार्यकारी दल की स्थापना तक सीमित रखने में सफल रहे। सरकारी अधिप्राप्ति में व्यापार सरलीकरण तथा पारदर्शिता सहित ये दो मुद्दे सिंगापुर मुद्दों के नाम से जाने जाते हैं।

4.122 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने टीएनसी द्वारा निवेश के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार पेश किया यद्यपि इन मुद्दों पर कोई मतैक्य नहीं था। ओईसीडी पहल में सभी प्रत्यक्ष निवेश लेनदेन शामिल हैं चाहे वे अनिवासी उद्यमियों द्वारा किए गए हों अथवा विदेशी नियंत्रणाधीन घरेलू उद्यमियों द्वारा किए गए हों। तीन आधारभूत सिद्धांत ओईसीडी प्रपत्रों का आधार है अर्थात प्रवेश तथा स्थापना का अधिकार, राष्ट्रीय व्यवहार तथा पूंजी एवं चालू- दोनों खातों में प्रत्यावर्तन की स्वतंत्रता जिसका अंततः उद्देश्य विदेशी निवेश के संबंध में सदस्य देशों द्वारा किए जाने वाला नीतियों का प्रगामी उदारीकरण है। यह कहा गया कि यह विदेशी निवेश को अपेक्षित पारदर्शिता,पूर्वानुमान तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा।

4.123 शासकीय सम्मेलन के पांचवें सत्र में एक बार सर्वसम्मति (वार्ताओं के मुद्दे पर) हो जाने पर दोहा मंत्रालयीय सम्मेलन ने एमएआई तथा अन्य सिंगापुर मुद्दों पर वार्ताएं आरंभ करने का निर्णय किया। निर्णय के अधार पर,तौर तरीके पर सुस्पष्ट सर्वसम्मति द्वारा वास्तविक वार्ताएं आरंभ होंगी। तथापि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महत्व के अनेक विषय हैं जिनका समाधान वास्तविक वार्ताओं से पूर्व किया जाना आवश्यक है। इनमें से कुछ पर यहां चर्चा की गई है।

चिन्ता के मुद्दे

4.124 इस करार के उन विकासात्मक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं जिनकी पूर्ति मेजबान देश, विदेशी निवेश आमंत्रित करने तथा बहुपक्षीय करार संबंधी वार्ता करते समय करने के इच्छुक हों। विकासशील देश घरेलू उद्यमों के लिए एक समान कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग तथा प्रौद्योगिकी सृजन के लिए सरकार के चयनात्मक तथा न्यायपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता को महसूस करते हैं । ये विकासशील देश विशिष्ट विकासात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश हेतु प्रोत्साहनों एवं निष्पादन अपेक्षाओं के एक समुचित सम्मिश्र को भी नियोजित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा साथ ही उनकी सहायक कंपनियों पर व्यापार प्रतिबंधक खंडों का आरोपण रोकने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं की और अधिक विस्तार से जांच करने तथा विश्व को विदेशी निवेश के लिए एक कानूनी रूप से सुरक्षित भेदभावरहित तथा स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के प्रस्तावित करार को देखे जाने की आवश्यकता है। बहरहाल, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बहुपक्षीय ढांचा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों में वृद्धि की गारंटी नहीं दे सकता, यद्यपि यह अंतर्वाहों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

4.125 इस संधि का उद्देश्य उद्यमाधारित निवेश के विपरीत निवेश की एक व्यापक आस्तिआधारित परिभाषा को अपनाना है अर्थात इसमें आस्तियों के सभी रूप शामिल हैं जो मान्य है तथा साथ ही निवेश के विकासशील रूप भी शामिल हैं। विशिष्ट रूप से निवेश को किसी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या उसके स्वामित्वाधीन प्रत्येक प्रकार की आस्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि निवेशक संविदाकारी पक्ष का नैसर्गिक या विधिक व्यक्ति है। इस प्रकार निवेश में न केवल इक्विटी पूंजी शामिल होगी,बल्कि पोर्टफोलियो निवेश, ऋण पूंजी, मौद्रिक तथा वित्तीय लेनदेन तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों, लाइसेंसों तथा प्राधिकारों सहित प्रत्येक प्रकार की मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां शामिल होंगी। इस प्रकार निवेश की इस व्यापक परिभाषा का विरोध किया गया है। निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार के अन्तर्गत एक अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दा निष्पादन अपेक्षाओं तथा निवेश प्रोत्साहनों के संबंध में है। प्रस्तावित संधि का लक्ष्य विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधित टीआरआईएम करार के अन्तर्गत निष्पादन अपेक्षाओं पर प्रतिबंधों से कहीं अधिक आगे जाने का है। यह संधि निष्पादन अपेक्षाओं की एक व्यापक सीमा को पूर्णतः निषिद्ध करती है चाहे वे घरेलू तथा विदेशी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य हों।

4.126 जहां तक मेजबान देशों में फर्मों के निजीकरण के मुद्दे का संबंध है, करार का लक्ष्य निजीकरण प्रक्रिया के सभी चरणों पर राष्ट्रीय व्यवहार तथा सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र के सिद्धांत को प्रयोज्य करना है। यह करार सरकार नामनिर्दिष्ट एकाधिकारों को निषिद्ध नहीं करता बशर्ते कि उनकी बिक्री तथा खरीद में अविभेदकारी नियम प्रवृत्त हों। समस्या विवाद निपटानों के संचालन के संबंध में है, विशेषतया राज्य के प्रति निवेशक विवादों, राज्य के प्रति राज्य विवादों, इत्यादि

के संबध में। निवेशक को राष्ट्रीय न्यायालयों में अथवा अंतर्राष्ट्रीय विवाचन में विवाद दायर करने का विकल्प दिया जा सकता हैं। मध्यस्थता के लिए चुने गए नियमों पर इनका प्रभाव पड़ेगा, ये नियम मेजबान देश में या मूल देश में अथवा यहां तक कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भी प्रचालनात्मक नियम हो सकते हैं। साथ ही ,राज्य (मेजबान देश के) के पास राष्ट्रीय कानूनी उपचारों का अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये विवादास्पद मुद्दे हैं जिनपर बातचीत किए जाने की आवश्यकता है।

4.127 इसके अलावा, निवेश संबंधी नए बहुपक्षीय करार के ढांचे के मामले में यह संभावना है कि द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करारों के अन्तर्गत हमें जो नम्यता उपलब्ध है,वह वापस ले ली जाए। अगले दो वर्षों में हमें निम्न के अनुसार सोचने की आवश्यकता होगीः (क) विभिन्न क्षेत्रों पर एमएआई के संभावित प्रभाव,(ख) व्यापार तथा निवेश तथा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी अंतरण के बीच संबंध के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति,(ग) कतिपय उच्च प्राथमिक क्षेत्रों के सरंक्षण हेतु नए नीति प्रपत्रों की मौजूदगी या निर्माण, (घ) घरेलू उद्योग के लिए एक समान कार्य क्षेत्र का सुनिश्चयन करना तथा (ड.) बहुराष्ट्रिकों को नियंत्रित करने के लिए समर्थकारी विधान उपलब्ध कराना जब उनका आचरण राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। यह घोषणा में दिए गए इस जोर के मद्देनज़र संभव है कि निवेश में विद्यमान द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का यथोचित हिसाब लिया जाना चाहिए। भारत में ऐसे करार सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात तैयार तथा अनुमोदित एक प्रतिमान संहिता पर आधारित हैं।

4.128 इसी प्रकार व्यापार तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों के व्यापक निहितार्थ हैं। कार्यकारी दल पारदर्शिता,अविभेदीकरण तथा प्रक्रियात्मक औचित्य तथा कठोर चुनौतियों के लिए प्रावधानों पर संकेंद्रण करता रहा है। बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा करार पर वार्ताएं 2003 की मंत्रालयीय बैठक के पश्चात सर्वसम्मति हो जाने पर ही आरंभ की जा सकती हैं। प्रमुख टीएनसी की एकस्व शक्ति तथा कीमत निर्धारण तंत्र के कारण पर्याप्त शोषण हुआ है। टीएनसी द्वारा प्रतिस्पर्धारोधी कीमत निर्धारण का मुद्दा तथा श्रम जैसे उत्पादन कारकों की गतिशीलता तथा व्यापार योग्यता का मुद्दा उठाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह पारदर्शिता, अविभेदीकरण तथा प्रक्रियात्मक औचित्य सहित केंद्रीय सिद्धांतों के स्पष्टीकरण तथा चुनौतियों संबंधी प्रावधानों से संबंधित है । अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कानून के सुदृढ़ीकरण से पूर्व घरेलू प्रतिस्पर्धा कानून तथा विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। भारत तथा अनेक अन्य विकासशील देशों द्वारा घरेलू रूप में ऐसी प्रणाली की शुरूआत की जानी आवश्यक है। इसके साथ ही, घटक बाजार विशेष रूप से श्रम बाजारों के अभिशासन में कानूनी सुधार अनिवार्य हैं।

4.129 जहां तक सरकारी अधिप्राप्ति के मुद्दे में प्रस्तावित परिवर्तनों का संबंध है, उचित तरीके से वैकल्पिक निवेशों के निर्धारण में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता दक्षता में भारी वर्धन करेगी तथा विकासशील देशों के विकास में सहायक होगी। दसवीं योजना की अवधि के भीतर भारत तथा विश्व अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत परिवर्तनों की आशा है जहां प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता तथा दक्षता राष्ट्रों के सौहार्द में देश के स्थान का निर्धारण करेंगी। हाल के समय में,निवेश की उत्पादकता का विश्लेषण करते समय, रहस्योद्घाटन या भ्रष्टाचार को विकास प्रक्रिया में एक मंदनकारी कारक के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सरकारी अधिप्राप्ति में पारदर्शिता पर संकेंद्रण करती दोहा घोषणा इस विचारणा से समर्थित प्रतीत होती है। पहले ही एक बहुपक्षीय करार विद्यमान है तथा एक कार्यकारी दल, इस मुद्दे पर कार्य कर रहा है । अपने कार्यकरण के दौरान, समूह ने अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के अनेक सिद्धांतों तथा यथेष्ट प्रक्रिया को अभिज्ञात किया है तथा उनका विश्लेषण किया है। इनमें सरकारी अधिप्राप्ति की परिभाषा तथा कार्यक्षेत्र,अर्हकता तथा संविदा प्रदान किए जाने संबंधी निर्णयों की पारदर्शिताएं इत्यादि शामिल हैं। इन तत्वों में से अनेक महत्वपूर्ण तत्वों पर महत्वपूर्ण मतभेद रहे हैं जिनमें विशेष रूप से पारदर्शिता करार का क्षेत्र तथा विस्तार तथा ऐसे संभावित करार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रियाओं की प्रयोज्यता शामिल है। चूंकि इस विषय पर कार्यकारी दल में चर्चाओं के दौरान अनेक बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे शामिल किए गए हैं, इसलिए विकासशील देशों को चिन्ता है कि वास्तविक आशय भविष्य में बाजार पहुंच को फैलाना प्रतीत होता है। तथापि सभी निविदाकारी पक्षों को राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करना, भारत जैसे विकासशील देशों को स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि घरेलू संभरकों को वरीयता दी जानी अपेक्षित है।

4.130 भारत में, सरकारी अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हैं तथा निविदाओं के चयन की प्रणाली के संबंध में कोई ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते। यद्यपि मानकीकृत तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता महसूस की गई है, वास्तविक कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षा विधि

के संबंध में कोई सर्वसम्मति नहीं है। वस्तुतः यह महसूस किया गया है कि विकसित देशों को सामाजिक तथा विकास आवश्यकताओं के आधार पर बाजार पहुंच प्राप्त करने के एक साधन के रूप में पारदर्शिता के सिद्धांत का प्रयोग करने से रोका जाना चाहिए। साथ ही ,हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक परिष्कृत तथा पारदर्शी सरकारी अधिप्राप्ति प्रणाली की आवश्यकता है।

4.131 अन्वेषणात्मक तथा खोज संबंधी कार्य करने, अन्य संगत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य का लाभ उठाने, व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए कार्य कार्यक्रम में व्यापार सरलीकरण को शामिल किया गया ताकि इस क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के लिए क्षेत्र का आकलन किया जा सके। अधिकांश व्यापार सरलीकरण प्रस्ताव सीमाशुल्क प्रक्रियाओं से संबंधित थे जबकि कुछ परिवहन, भुगतान, बीमा तथा अन्य वित्तीय अपेक्षाओं से भी संबंधित थे। व्यापार सरलीकरण के संबंध में वार्ता प्रक्रिया के वर्ष 2003 में मैक्सिको मंत्रालयीय बैठक के पश्चात आरंभ होने की संभावना है। इस करार से सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा मानकीकरण तथा माल के संचलन एवं समाशोधन के सरलीकरण की आशा है। व्यापार सरलीकरण संबंधी दोहा घोषणा में सीमाशुल्क तथा अन्य प्रक्रियाओं को कम करके तथा माल के संचलन, निर्मुक्ति तथा समाशोधन में तेजी लाकर व्यापार लेनदेनों में औपचारिकताओं को कम करने की वांछनीयता के संबंध में जीएटीटी के अनुच्छेद 8 का उद्देश्य शामिल किया गया है। चूंकि भारतीय निर्यातों में लेनदेन लागत काफी महत्वपूर्ण है, इन क्षेत्रों में तात्कालिक आधार पर सुधारों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। एक बार परिष्कृत प्रक्रियाओं के स्थापित हो जाने पर इससे हमारे निर्यात संवर्धन प्रयासों में सहायता मिलेगी।

4.132 व्यापार विकास के साथ आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने वाले उपायों पर बल दिया जाना आवश्यक है। एलडीसी की विकासात्मक चिन्ताओं को देखते हुए इन मुद्दों को शामिल करने पर यथेष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे इन एलडीसी में बहुपक्षीय निवेशों को सुप्रवाही बनाने में सहायता मिलेगी। एक ओर, यह विदेशी निवेशकों को एक पारदर्शी ढांचे में पहुंच प्रदान करेगा तथा इसे कानूनी संरक्षण प्रापत होगा जबकि दूसरी ओर यह मेजबान देशों को टीएनसी से वित्तीय सहायता तथा प्रौद्योगिकीय विकास के रूप में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास प्रदान करेगा। विश्व व्यापार संगठन की निवेशों संबंधी व्यापार संबंधित समिति सदस्य देशों द्वारा नम्यता की अधिसूचनाओं का अनुवीक्षण करती रही है। साथ ही,श्रम बाजार मोर्चे पर वार्ताएं अनिवार्य हैं तथा जो यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि एलडीसी को विदेशों से अपने कुशल तथा अकुशल कर्मगारों के लिए सुधरी हुई स्थितियां प्राप्त हों।

व्यापार तथा पर्यावरण एवं सम्बद्ध मुद्दे

4.133 वैश्विक पर्यावरण के परिरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए वर्धित अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी करारों के भाग के रूप में बहुपक्षीय पर्यावरण करार किए जा रहे हैं। वैश्विक मानकों के अनुसार पर्यावरण का सार्वभौम संरक्षण प्राप्त करने के लिए एक सुमेल आचरण संहिता की शुरूआत की जा रही है। इस मामले में पर्यावरणीय समस्याओं,जो बुनियादी रूप से घरेलू हैं, के प्रति उन समस्याओं जो अनिवार्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की हैं,के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सुझाया गया है। पश्चोक्त में राष्ट्रीय सीमाओं के पार भौतिक बिखराव अंतर्ग्रस्त है। ये अन्तर्भूत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो व्यापार मुद्दों से संबंधित हैं यद्यपि देशीय पर्यावरणीय समस्याएं भी व्यापार के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन गतिविधि के प्रचालनों के माध्यम से संबंधित हैं। इन मुद्दों के कारण समुचित करों, आर्थिक सहायता तथा अंतरणों के उपयोग के जरिए पर्यावरणीय बाह्यताओं को तटस्थ करने की आवश्यकता महसूस की गई है। दोहा घोषणा में व्यापार तथा पर्यावरण के सीमित पहलुओं पर वार्ताएं करने के आदेश दिए गए हैं अर्थात विश्व व्यापार संगठन के नियमों तथा व्यापार बाध्यताओं,एमईए तथा विश्व व्यापार संगठन के बीच सूचना के विनिमय की प्रकियाओं, तथा पर्यावरणीय माल एवं सेवाओं के प्रशुल्क तथा प्रशुल्क-भिन्न बाधाओं में कमी/समाप्ति के संबध में।

4.134 पर्यावरणीय संबंधी बहुपक्षीय करार मानव, पशु तथा वनस्पति जीवन के संरक्षण की देखरेख करता है। मानक स्थापित करने वाले सभी सरकारी तथा सरकारी-भिन्न निकायों के लिए मानकों की तैयारी,अपनाने तथा प्रयोज्यता के लिए अच्छी व्यवहार संहिता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होने चाहिएं,वहां अपवाद किया जाता है जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रभावहीन या अनुचित है अथवा जहां राष्ट्रीय मानकों का उपयोग मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा, पशु अथवा वनस्पति जीवन या स्वास्थ्य,अथवा पर्यावरण की संरक्षा के परिशीलन के लिए किया जाता है। तथापि,यह सुझाव

दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपवाद न्यूनतम व्यापार प्रतिबंधक होने चाहिए तथा उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना द्वारा अनुसमर्थित होने चाहिए।

4.135 इसके अतिरिक्त,करार का उद्देश्य, कीटनाशी अवशेष स्तरों तथा पर्यावरणात्मक कानूनों में पाए जाने वाले अन्य स्वास्थ्य मानकों में सार्वभौम जोखिम निर्धारण कसौटी स्थापित करने का है। प्रस्तावित कसौटी में यह अपेक्षित है कि मानव स्वास्थ्य को जोखिम के लिए मानदंड हानिकारक गतिविधि के आर्थिक लाभों के संतुलन द्वारा प्रतिसंतुलित किए जाएं। करार में समुचित श्रम मानकों के अनुरक्षण हेतु निहितार्थ हैं जिनमें विकासशील देशों में बाल श्रम शामिल है। न्यूनतम मानकों के प्रस्तावित सेट में समूहीकरण की स्वतंत्रता,सामूहिक मोलतोल, बलित श्रम का निषेध,शोषणात्मक बाल श्रम की समाप्ति तथा अविभेदीकरण शामिल है। यहां शब्दों अनुचित,शोषण,बलित इत्यादि को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है अपितु सभी कामगारों तथा देशों के हित में आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए बुनियादी मानव अधिकारों तथा मानकों को प्रतिबिम्बित किया गया है।

4.136 व्यापार के तकनीकी अवरोधों संबंधी करार उत्पादों के लिए तकनीकी विनियमों संबंधी निर्धारणों, जो कई बार व्यापार के अयुक्तिसंगत अवरोधों के रूप में कार्य कर सकते हैं, के विरुद्ध विकासशील देशों को संरक्षण प्रदान करता है। बुनियादी सिद्धांतों में यह निर्धारित किया गया है कि विनियम, सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण पर आधारित सरकार के वैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथावश्यक से अधिक व्यापार प्रतिबंधात्मक नहीं होने चाहिए। विनियमों का निर्धारण उत्पाद की अभिकल्प अथवा विवरणात्मक विशिष्टताओं के बजाए उसके निष्पादन के अनुसार किया जाता है तथा सदस्यों के बीच ये अविभेदकारी होंगे। करार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। औद्योगीकृत देशों में तकनीकी विनियमों तथा मानकों की तैयारी तथा प्रशासन में भी उच्च-स्तरीय पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

चिन्ता के मुद्दे

4.137 यह महसूस किया है कि व्यापार का मूलतः उद्देश्य बाजारों से लाभ उठाना है जबकि पर्यावरण संरक्षण पारंपरिक रूप से इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। कारोबारी प्रणाली के हितों तथा पर्यावरणात्मक संरक्षण के बीच वस्तुनिष्ठ सुमेलीकरण तथा सामंजस्य के लिए खोज की आवश्यकता महसूस की गई। यद्यपि अंतः देश अंतरा-उद्योग पर्यावरणीय मानकों को सुमेलित बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं,तथापि ये विवादास्पद हैं। एक विशिष्ट देश के अधिमानी पर्यावरणीय चुनाव तथा समाधान (उदाहरणार्थ समुचित प्रदूषण मानक तथा करों की स्थापना द्वारा) किसी दूसरे देश से काफी भिन्न हो सकते हैं। देशों में वृत्तिदानों तथा प्रौद्योगिकी में, तथा प्रदूषण नियंत्रण की लागत में आय तथा खपत स्तरों के अनुरूप भिन्नताएं होती हैं। निर्धन देश को अपनी व्यापार संभावनाएं बढ़ाने के लिए अपशमन पर समान रूप से व्यय करने को मजबूर करने से उसके कल्याण में पर्याप्त कमी आ सकती है। कठोर प्रतिबंध के बजाए परिष्कृत मानकों को प्रोत्साहित तथा संवर्धित करने की निरंतर आवश्यकता है।

4.138 यह महसूस किया गया है कि इस तथ्य के आधार पर न्यूनतम श्रम मानकों संबंधी किसी सार्वभौम करार की रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकती कि एक विशिष्ट समाज में प्रवृत्त श्रम मानक किसी दूसरे समाज से निम्नतर हैं, जिसका आशय यह है कि पूर्ववर्ती अनुचित व्यवहारों में संलग्न है अथवा अपने श्रमिकों का अनुचित लाभ उठा रहा हैं। मूल्यों में अंतर होता है जिसके परिणामस्वरूप श्रम मानकों में अंतर आ जाता है। साथ ही उपभोक्ता, बाजार के माध्यम से अपनी वरीयताएं निर्दिष्ट करते हैं तथा इस प्रकार अपने देश में प्रवृत्त श्रम मानकों को बदलते हैं। विकासशील देशों की श्रम दशाओं का प्रयोग व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए करना अनुचित तथा किंचित कठोर माना गया है। यह महसूस किया गया है कि इसके कारण विकसित देशों द्वारा संरक्षणात्मक प्रतिबंध/ व्यापार प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है।

4.139 दोहा में अपनाया गया कार्य कार्यक्रम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि भारत सहित विकासशील देशों से विरोध के बावजूद पर्यावरण संबंधी वार्ता शीघ्र आरंभ हो जाएगी। व्यापार तथा पर्यावरण संबंधी वार्ता मौजूदा विश्व व्यापार संगठन नियमों तथा बहुपक्षीय पर्यावरण करारों में निहित व्यापार बाध्यताओं के बीच संबंध तथा पर्यावरणीय माल तथा सेवाओं के प्रशुल्क तथा प्रशुल्क - भिन्न अवरोधों को घटाने या समाप्त करने पर संकेंद्रित होगी। व्यापार तथा पर्यावरण संबंधी समिति के कार्य कार्यक्रम में बाजार पहुंच पर पर्यावरणात्मक प्रतिबंधों के प्रभाव, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के संगत उपबंधों तथा पर्यावरणीय प्रयोजनार्थ लेबलिंग अपेक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। सैनिटरी तथा फाइटो सैनिटरी उपायों को प्रयोज्य करके ये एक कड़ी तथा पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था का सृजन करेंगे जिसका भारत जैसे विकासशील देशों के

व्यापार पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इन देशों के निर्यात एहतियाती सिद्धांतों तथा पारि-लेबलिंग आवश्यकताओं सहित पर्यावरणात्मक प्रतिबंधों को प्रयोज्य करने से पहले ही प्रभावित हैं, उदीयमान पर्यावरण व्यवस्था के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने अपेक्षित होंगे।

4.140 बाजार पहुंच के आधार पर पारदर्शिता अपेक्षतया विकसित देशों को विकासशील देशों के विभिन्न प्रचालनों तथा विनियमों में हस्तक्षेप करने में समर्थ होने का अधिकार प्रदान करती है। यदि किसी सदस्य देश द्वारा कोई नया तकनीकी विनियम पेश किया जाता है तो सार्वजनिक सूचना जारी की जानी तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर विचार किया जाना आवश्यक है। मानकों को तैयार करने, अपनाने तथा प्रयोज्य करने के लिए अच्छे व्यवहार की एक संहिता का सुझाव सदस्य देशों को दिया गया है तथा उपायों का मसौदा इस प्रकार तैयार किया गया है कि उनके व्यापार हितों की संरक्षा हो सके।

4.141 घरेलू मोर्चे पर,परिष्कृत स्वास्थ्य तथा पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू व्यापार के लिए निश्चित प्रक्रियाएं स्थापित करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य,यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों में हमारे प्रमुख निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। पर्यावरण दृष्टि से ठोस प्रौद्योगिकियां तथा व्यवहार विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय के संवर्धन हेतु उद्योग को भी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार

4.142 जीएटीएस, सेवाओं में,अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बहुपक्षीय नियमों का प्रथम समूह है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी,पर्यटन तथा विदेश शिक्षा, बैंकिंग, कानूनी सलाह तथा संचार जैसी सेवाओं की अंतरसीमा आपूर्ति,के लिए सेवाओं में व्यापार तथा देशजात व्यक्तियों का संचालन शामिल है। जीएटीएस में एक सकारात्मक सूची के आधार पर सभी सेवाओं को शामिल किया गया है तथा इसका उद्देश्य जीएटीएस की मौजूदा सरंचना के भीतर सेवाओं में व्यापार को उतरोत्तर उदारीकृत बनाना है। सदस्य देशों को करारों के अन्तर्गत अपनी विशिष्ट वचनबद्धताओं का समय निर्धारण करना है। जीएटीएस वार्ताओं का उद्देश्य व्यापार भागीदारों के बीच आर्थिक उन्नति का संवर्धन करने तथा विकासशील देशों का विकास करने के लिए उदारीकरण के उतरोत्तर उच्चतर स्तरों को प्राप्त करना है। सभी भागीदारों के हित संवर्धन हेतु अधिकारों और दायित्वों के समग्र संतुलन पर बाजार पहुंच के माध्यम से जोर दिया गया है। व्यापार तथा सेवाओं में विकासशील देशों की सहभागिता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विकासशील देशों के निर्यात हित के क्षेत्रकों तथा आपूर्ति के तरीकों पर संकेन्द्रण किया गया है।

4.143 सेवाओं में व्यापार परिषद (जीएटीएस) के उद्देश्यों के संदर्भ में समग्र रूप से तथा क्षेत्रक आधार पर सेवाओं में व्यापार का आकलन करती है। सेवा वार्ताएं सीटीएस के विशेष सत्रों में संचालित की जाती है जिसे बदले में नियमित आधार पर महापरिषद को सूचना भेजनी अपेक्षित है। अलग-अलग सदस्य देशों द्वारा वचनबद्धताओं की विशिष्ट समय अनुसूचियां बनाई गई हैं जो वार्ताओं का आधार बनती हैं, विकासशील देश सदस्यों को अपनी विकास स्थिति के समनुरूप उतरोत्तर बाजार पहुंच विस्तारित करते हुए लेनदेनों की अपेक्षाकृत कम किस्मों को उदारीकृत करने के लिए और अपेक्षाकृत कम क्षेत्रक खोलने के लिए समुचित नम्यता प्रदान की गई है। यह निर्णय किया गया था कि सदस्यों द्वारा की गई विशिष्ट वचनबद्धताओं के सामान्य स्तर को बढ़ाने की ओर निदेशित द्विपक्षीय,अनेक पक्षीय या बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से प्रत्येक उपदौर में प्रगामी उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

4.144 अलग-अलग समय अनुसूचियों में निर्दिष्ट क्षेत्रकों को इस प्रकार व्यवहार प्रदान किया जाना अपेक्षित है कि किया गया व्यवहार अपनी स्वयं की समान सेवाओं तथा सेवा संभरकों को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल न हो, अर्थात समय अनुसूचियों को राष्ट्रीय व्यवहार के अध्यधीन रखा जाए। सदस्यों को अनुमति है कि वे वचनबद्धता के प्रवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात किसी भी समय सीटीएस को उपयुक्त प्रकार सूचित करते हुए अपनी समय अनुसूची की किसी वचनबद्धता को आशोधित कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। भारत ने विशिष्ट वचनबद्धताओं की एक अनुसूची निर्दिष्ट की है जिसमें बाजार पहुंच तथा राष्ट्रीय व्यवहार संबंधी प्रतिबंध निर्दिष्ट हैं। ये व्यावसायिक सेवाओं, कम्प्यूटर तथा संबद्ध सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं, संचार सेवाओं,दृश्य-श्रव्य सेवाओं, संरचना एवं संबद्ध इंजीनियरी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं तथा अन्य व्यवसाय सेवाओं से संबंधित हैं।

4.145दोहा घोष्णा में देशजात व्यक्तियों के संचलन सहित विभिन्न क्षेत्रकों संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया गया है। सेवाओं तथा पर्यावरण, देशजात व्यक्तियों के संचलन, वित्तीय सेवाओं, समुद्रवर्ती परिवहन सेवाओं, बुनियादी दूर संचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए वचनबद्धताओं के संबंध में सदस्य देशों के बीच वार्ताएं की गई हैं। इन सेवाओं के आगे और उदारीकरण की गुंजाइश पर निर्णय समितियों द्वारा किया जाना है। व्यावसायिक सेवाओं संबंधी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की जांच करने की प्रक्रिया में लगी हुई है कि अर्हक अपेक्षा तथा प्रक्रियाएं, तकनीकी मानक तथा लाइसेंसिंग अपेक्षाएं व्यापार के लिए अनावश्यक अवरोध न बनें।

चिन्ता के मुद्दे

4.146भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इनमें से कुछ मुद्दों का क्रियान्वयन चिन्ता का विषय है। देशजात व्यक्तियों के संचलन पर अनेक विकसित देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारत को व्यावसायिक तथा कम्प्यूटर सेवाओं का लाभ प्राप्त है क्योंकि इसके पास अत्यधिक कुशल तथा अनुभवी व्यावसायिक, यथा वकील, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी आधारित वैज्ञानिक/तकनीशियन, सूचना प्रौद्योगिकी/संचार वैज्ञानिक/तकनीशियनों, इंजीनियरों, डाक्टरों, इत्यादि का विशाल भंडार है। उच्च स्तरीय संचलन अवरोधों ने भारत से तकनीकी तथा तकनीकी-भिन्न सेवाओं में व्यापार के विस्तार को बाधित किया है। संयुक्त राष्ट्र तथा इसके विशेषज्ञ अभिकरणों के साथ सतत परामर्श तथा सहयोग करने की सीटीएस की जरूरत सीमित रही है। इसके अतिरिक्त जीएटीएस निर्माण मजदूरों, श्रमिकों इत्यादि जैसे डाउन मार्केट अकुशल कर्मकारों के मुद्दे पर चुप है। विदेश जाने वाले ऐसे कर्मकारों के लिए इन सेवाओं के व्यापार के बारे में वार्ता किए जाने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत अधिक अर्जनों के लिए और अधिक अपमार्केट कौशलों के संवर्धन की गुंजाइश भी है। इसके अलावा, विकसित देशों को जाने वाले कर्मकारों की अपेक्षित अर्हताओं तथा अनुभव के मानकीकरण तथा उसे सुमेल बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय सक्षमता या स्थानीय प्रमाणन(उदाहरणार्थ चिकित्सा बोर्ड) की आवश्यकताओं का प्रयोग प्रशुल्क-भिन्न अवरोधों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

4.147यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए उन क्षेत्रकों में जिनमें बाजार पहुंच, विशेषत: रूप से इसके व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, स्वास्थ्य, साफ्टवेयर, निर्माण तथा इंजीनियरी, लेखाशास्त्र, श्रव्य-दृश्य, पर्यटन तथा वास्तु शास्त्र शामिल हैं। भारत द्वारा उन क्षेत्रकों को भी अभिज्ञात किया जाना है जिनमें वह वार्ताओं में बाजार पहुंच संबंधी वचनबद्धताएं कर सकता है। साथ ही, सेवाओं के प्रदाय के अन्य तरीकों में (देशजात व्यक्तियों के संचलन से संबधित विधि-4 के अतिरिक्त) हमारी वार्ता पहल को व्यापक करने के संबंध में सक्रिय विचार-विमर्श को प्रेरित करने की आवश्यकता है। भारत की क्षमता के अर्थ में वाणिज्यिक स्थिति तथा अनुप्रस्थ-सीमा आपूर्ति अब धीरे-धीरे महत्वपूर्ण बन रहे हैं।

4.148 घरेलू मोर्चे पर, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी कसौटी पर आधारित एक विनियामक तंत्र की आवश्यकता है ताकि सेवाओं की आपूर्ति करने की सक्षमता तथा सामर्थ्य पर यथेष्ट विचार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उपयोग को और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी व्यावसायिक संस्थाओं के स्तर को सुधारा जाना आवश्यक है ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप उठाया जा सके। इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में एक जनसांख्यिकीय अंतरण का प्रेक्षण किया गया है जहां कार्य करने वाली जनसंख्या के अनुपात में गिरावट प्रदर्शित हुई है, इसलिए विकासशील देशों से विकसित देशों को कुशल जनशक्ति/सेवाओं की आपूर्ति पर उपयुक्त रूप से वार्ता की जानी चाहिए।

4.149उदीयमान अवसरों का दोहन करने के उद्देश्य से विदेशी बाजारों में सेवा प्रदायकों को और अधिक सूचना की आपूर्ति करना एक अन्य आवश्यक कदम है। विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं तथा सेवाओं के लिए निर्यात संभाव्यता के दोहन-दोनों के लिए सेवाओं संबंधी डाटा तथा सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, वाणिज्य विभाग द्वारा गठित सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति ने डाटा संग्रहण प्रक्रिया को सुधारने के लिए ठोस सुझाव दिए है जिन्हें क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है।

4.150यह भलीभांति विदित है कि विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में प्रतिरक्षात्मक स्थिति अब उचित नहीं है। भारत को अपने स्वयं के मसौदों का प्रस्ताव करके अनेक उदीयमान मुद्दों पर एक अधिक सक्रिय तथा उद्यमशील स्थिति ग्रहण करनी होगी। कुछेक क्षेत्रक जिनमें ऐसी स्थितियां ग्रहंण की जा सकती हैं, सहज अभिज्ञात हैं : निवेश संबंधी बहुपक्षीय करार, पर्यावरणीय माल का व्यापार, सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार तथा यहां तक कि श्रम मानक भी।

क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं

4.151 वर्धित वैश्वीकरण से क्षेत्रों के भीतर तथा क्षेत्रों के अनुप्रस्थ आर्थिक सहयोग हेतु अनेक क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों की प्रचुरता हो गई है। लगभग 15 क्षेत्रीय ब्लॉक हैं तथा अनुमानित 42 प्रतिशत विश्व व्यापार, अधिमानी व्यापार प्रचालनों के माध्यम से किया जाता है। इन ब्लॉकों के भीतर प्रशुल्क दरें सामान्यतः सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र दरों से अपेक्षाकृत कम है जो विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को पेशकश की जानी अपेक्षित हैं। इस प्रकार यह आशंका है कि भारत इन ब्लॉकों में प्रबल बाजारों को निर्यात करने में काफी घाटे में रहेगा। तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि घाटे की सीमा सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र प्रशुल्क दरों तथा किसी देय उत्पाद की अधिमानी दर के बीच अंतर पर निर्भर है। सर्वाधिक विकसित देश बाजारों के मामले में, ये अंतर काफी लघु हैं सिवाए कुछ उत्पादों के मामले में जिनमें प्रशुल्क उच्चतम है जैसे कृषिक वस्तुएं, कपड़ा तथा वस्त्र। इन मामलों में भी अधिकांश कृषिय उत्पादों के लिए हमारे पक्ष की ओर से आपूर्ति पक्ष सीमाओं तथा कपड़ा एवं वस्त्र के लिए बहु-रेशा करार के प्रचालन के कारण वर्तमान में प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा। तथापि, भविष्य में, जैसे-जैसे हमारी कृषि निर्यात संभाव्यता में सुधार आएगा तथा बहु-रेशा करार चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाएगा,नकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाएंगे।

4.152 अतः यह वांछनीय प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय कारोबार व्यवस्थाओं के प्रभावों का उपशमन करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की जाए। तथापि, ऐसा करने में यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत,अधिमानी प्रशुल्क क्षेत्रों में प्रशुल्कों का एक समान समूह होना प्रत्याशित है ताकि किसी उत्पाद पर प्रशुल्क दर ब्लॉक के निर्माण से पूर्व किसी सदस्य देश में प्रवृत्त निम्नतम दर के समकक्ष या उससे कम हो। भारत द्वारा एक या अधिक विद्यमान ब्लॉकों में शामिल होने पर उसके संदर्भ में यह संगत रहेगा यद्यपि भारतीय प्रशुल्क दरों को धीरे-धीरे पूर्वी एशियाई स्तरों पर नीचे लाया जा रहा है।

1.153 भारत, क्षेत्रीय सहायोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) का एक सदस्य है जिसका अंतर क्षेत्रीय व्यापार स्तर बहुत निम्न है। भारत से सार्क क्षेत्र को निर्यात कुल निर्यात का लगभग 4.5 प्रतिशत है जबकि आयात 1 प्रतिशत से कुछ अधिक है। व्यापार तथा निवेश में क्षेत्रीय पहलों के विकास पर जोर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उपलब्ध संभाव्य सहक्रियाशीलता का लाभ उठाने हेतु यह संवेदी है। यह सुझाव दिया गया है कि सार्क क्षेत्र के भीतर व्यापार के उदारीकरण के संभावित लाभ पर्याप्त हैं तथा जोखिम बहुत कम हैं। भारत से सार्क देशों को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदों में सूती-वस्त्र, चीनी, चावल, गेहूं, मशीनरी, परिवहन-उपस्कर, औषध-तथा-भेषज, रबड़ उत्पाद, रसायन, इस्पात, प्लास्टिक उत्पाद इत्यादि शामिल हैं। विद्युत, परिवहन तथा जल संसाधनों जैसे व्यापार न किए जा रहे उत्पादों के संबंध मे संभाव्यता और भी अधिक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन मदों की संभाव्यता का और अधिक उत्साह से अन्वेषण किया जाना आवश्यक है।

4.154 विगत कुछ वर्षों में, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ (एसियान) के देशों के साथ भारत के संबंधों के उन्नयन के प्रयास किए गए हैं। भारत का इस क्षेत्र के साथ पर्याप्त व्यापार है जो हमारे निर्यातों का 7.9 प्रतिशत और आयातों का 8.5 प्रतिशत बैठता है। इस व्यापार में निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में खल, मूंगफली, चीनी, सब्जियां, गेंहूं, चावल, मांस तथा इसके सम्पाक, औषध तथा भेषज, प्लास्टिक उत्पाद, इस्पात,मशीनरी मदें, इलेक्ट्रानिक्स, रत्न तथा आभूषण इत्यादि शामिल हैं। आयात की जाने वाली मुख्य मदें हैं वनस्पति तेल, लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद,धागा तथा वस्त्र,इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, मशीनरी,रसायन इत्यादि। संचार,सड़कों, पत्तनों तथा विद्युत के रूप में सहायता के अलावा कम्प्यूटर हार्डवेयर में विशेषज्ञता वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत से साफ्टवेयर निर्यातों को एकीकृत करने की गुंजाइश है। इन देशों के साथ अंतर क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं औद्योगिक विकास तथा शेष विश्व के साथ व्यापार को सुकर बनाएंगी। भारत को क्षेत्र में व्यापार तथा निवेश में क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन करने के लिए बंग्लादेश,भारत, म्यांमार,श्रीलंका,थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बिमस्टैक) के क्षेत्रीय समूह में भी सक्रिय भाग लेना चाहिए। तथापि यह प्रक्रिया इस तथ्य के मद्देनज़र सावधानीपूर्वक आरंभ की जानी चाहिए कि एसियान क्षेत्र में औसत प्रशुल्क दरें लगभग 10-15 प्रतिशत है जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में प्रशुल्कों के कम होकर केवल 18 प्रतिशत तक आ जाने की आशा है।

अनुबंध 4.1

दसवीं योजना के लिए निर्यात अनुमान

(मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	क्षेत्र	2001-02	2006-07	कुल
1	धान एवं चावल	618.93	1085.09	4389.01
2	गेहूं	289.01	383.76	1718.56
3	अन्य अनाज	74.37	98.75	442.22
4	दालें	78.35	90.00	426.04
5	पटसन	1.75	2.01	9.51
6	सूत	6.16	7.08	33.52
7	चाय तथा काफी	568.23	868.66	3691.60
8	रबड़	15.26	20.27	90.77
9	अन्य फसलें	461.71	613.09	2745.55
10	पशु पालन	344.43	631.54	2514.31
11	वानिकी तथा लागिंग	265.61	290.44	1401.67
12	मत्स्यकी	1357.18	2074.74	8817.12
13	कोयला तथा लिग्नाईट	42.18	56.01	250.82
14	लौह अयस्क	327.60	376.32	1781.46
15	अन्य घात्विक खनिज	137.65	200.86	868.35
16	घात्विक -भिन्न लघु खनिज	369.95	491.25	2199.90
17	चीनी	515.23	863.32	3548.90
18	खाद्य तेल	179.52	206.21	976.20
19	अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थ	1585.42	2656.53	10920.29
20	सूती वस्त्र	2183.74	4004.04	15940.96
21	ऊनी वस्त्र	50.04	71.34	311.08
22	रेशमी वस्त्र	267.86	381.82	1665.04
23	कृत्रिम रेशमी तथा संश्लिष्ट रेशे	406.78	579.85	2528.63
24	पटसन हेम्प मेस्ता वस्त्र	92.12	154.36	634.52
25	तैयार निर्मित वस्त्र	5253.59	10070.60	39474.29
26	अन्य वस्त्र	2798.52	3989.18	17396.10

27	लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	33.51	56.16	230.84
28	कागज तथा कागज के उत्पाद	255.81	339.69	1521.18
29	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद	1549.53	2261.14	9775.19
30	रबड़ उत्पाद	1074.88	1532.20	6681.66
31	प्लास्टिक उत्पाद	384.45	644.18	2648.07
32	पेट्रोलियम उत्पाद	1757.80	4550.74	16121.44
33	उर्वरक	6.23	7.15	33.86
34	कीटनाशी	255.13	293.06	1387.34
35	संश्लिष्ट रेशे तथा रेजिन	430.03	824.32	3231.12
36	रोगन,औषध तथा प्रसाधन सामग्री	1951.10	4082.97	15527.30
37	अन्य रसायन	2134.62	4467.00	16987.75
38	सीमेंट	77.22	110.07	479.99
39	अन्य धात्विक- भिन्न खनिज	6042.49	12644.80	48087.43
40	लौहा तथा इस्पात	2041.90	3914.12	15342.38
41	अलौह धातुएं	1662.82	2661.85	11123.89
42	ट्रैक्टर तथा अन्य कृषीय मशीनरी	44.39	63.27	275.93
43	अन्य वैद्युत- भिन्न मशीनरी	1199.74	2299.78	9014.56
44	वैद्युत मशीनरी	961.40	2011.88	7651.05
45	वाणिज्यिक तथा इलैक्ट्रानिक	791.30	1729.18	6479.94
46	रेल उपकरण	50.41	71.86	313.38
47	मोटर वाहन	512.56	730.63	3186.16
48	मोटर साइकिल,स्कूटर तथा	112.63	160.55	700.15
49	अन्य परिवहन उपस्कर	294.39	419.64	1829.96
50	अन्य विनिर्माण	2999.48	4275.64	18645.33
	जोड़	**44915.0**	**80419.00**	**322863.13**

अनुबंध 4.2क

दसवीं योजना के लिए आयात पूर्वानुमान
परिदृश्य-1 (जीडीपी 8%,टैरिफ 33.7% ,27%,22%,18% और 15%)

(मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	क्षेत्रक	2001-02	2006-07	कुल
1	धान	0.02	0.03	0.12
2	गेहूं	0.26	0.40	1.70
3	अन्य अनाज	6.70	10.15	43.26
4	दालें	641.29	1240.19	4846.33
5	ईख	0.00	0.00	0.02
6	जूट	22.47	43.45	169.78
7	कपास	486.62	1010.26	3852.42
8	चाय तथा काफी	14.71	35.90	129.66
9	रबड़	172.13	260.82	1112.03
10	अन्य फसलें	49.34	74.76	318.74
11	पशु पालन	20.38	39.41	154.01
12	वानिकी तथा लोगिंग	29.88	57.79	225.83
13	मत्स्य पालन	8.96	17.33	67.72
14	कोयला तथा लिग्नाईट	1123.31	2500.97	9313.29
15	पेट्रोलियम क्रूड	12664.60	20046.80	86400.03
16	लौह अयस्क	21.44	41.46	162.00
17	अन्य धात्विक खनिज	5804.82	14165.89	51163.97
18	गैर-धात्विक लघु खनिज	4567.58	13920.89	46815.64
19	चीनी	21.32	44.26	168.77
20	खांडसारी	0.00	0.00	0.00
21	खाद्य तेल	1586.49	4835.25	16260.84
22	अन्य खाद्य और पेय	471.75	1151.25	4158.04
23	सूती कपड़े	45.67	94.81	361.56
24	ऊनी कपड़े	147.59	306.41	1168.42
25	रेशमी कपड़े	146.75	304.65	1161.73

26	कृत्रिम रेशम और सिनथेटिक फाइबर	300.72	624.32	2380.71
27	जूट हेमा मेस्ता कपड़े	9.27	19.25	73.40
28	सिले सिलाए कपड़े	43.96	91.27	348.03
29	अन्य कपड़े	402.30	835.21	3184.89
30	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	593.66	1657.39	5730.43
31	कागज और कागज उत्पाद	978.77	2179.18	8114.95
32	चर्म और चर्म उत्पाद	235.47	574.63	2075.44
33	रबड़ उत्पाद	129.87	251.15	981.44
34	प्लास्टिक उत्पाद	264.13	548.35	2091.01
35	पेट्रोलियम उत्पाद	1407.02	2240.77	9381.72
36	उर्वरक	524.95	1115.66	4220.49
37	कीटनाशी	84.55	179.68	679.72
38	सिन्थेटिक फाइबर और रेजिन्स	485.60	1185.05	4280.12
39	पेंट्स, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन	601.32	1338.79	4985.49
40	अन्य रसायन	3649.87	9746.74	34183.70
41	सीमेंट	2.51	5.58	20.79
42	अन्य अधात्विक खनिज	356.96	832.22	3051.62
43	लौहा और इस्पात	1396.73	2899.70	11057.43
44	अलौह धातु	925.30	1789.46	6992.70
45	ट्रेक्टर और अन्य कृषि। मशीनरी	11.55	28.20	101.84
46	अन्य गैर-विद्युतीय मशीनरी	3495.70	8530.78	30811.26
47	विद्युतीय मशीनरी	2025.83	5409.85	18973.37
48	संचार और इलेक्ट्रानिक उपस्कर	3033.90	11439.28	36054.12
49	रेल उपस्कर	13.27	27.54	105.03
50	मोटर वाहन	915.67	1900.98	7248.99
51	मोटर साइकिल,स्कूटर और बाइसिकिल	0.32	0.66	2.53
52	अन्य परिवहन उपस्कर	4549.01	9444.01	36012.85
53	अन्य विनिर्माण	3125.71	6959.19	25915.10
	जोड़	**57618.00**	**132058.00**	**487003.33**

अनुबंध 4.2ख

दसवीं योजना के लिए आयात पूर्वानुमान

परिदृश्य-2 (जीडीपी 8%,टैरिफ 33.7% ,28%,24%,20% और 18%)

(मिलियन डॉलर)

क्र.सं.	क्षेत्रक	2001-02	2006-07	कुल
1	धान	0.02	0.03	0.12
2	गेहूं	0.26	0.37	1.61
3	अन्य अनाज	6.70	9.31	40.99
4	दालें	641.29	1138.20	4583.78
5	ईख	0.00	0.00	0.02
6	जूट	22.47	39.87	160.58
7	कपास	486.62	927.17	3641.97
8	चाय तथा काफी	14.71	32.95	122.45
9	रबड़	172.13	239.37	1053.52
10	अन्य फसलें	49.34	68.61	301.97
11	पशु पालन	20.38	36.17	145.66
12	वानिकी तथा जलाक्रांत	29.88	53.04	213.59
13	मत्स्य पालन	8.96	15.91	64.05
14	कोयला तथा लिग्नाईट	1123.31	2295.29	8800.43
15	पेट्रोलियम क्रूड	12664.60	20046.80	86400.03
16	लौह अयस्क	21.44	38.05	153.23
17	अन्य धात्विक खनिज	5804.82	13000.86	48317.03
18	गैर-धात्विक लघु खनिज	4567.58	12776.01	44146.37
19	चीनी	21.32	40.62	159.55
20	खांडसारी	0.00	0.00	0.00
21	खाद्य तेल	1586.49	4437.59	15333.70
22	अन्य खाद्य और पेय	471.75	1056.57	3926.67
23	सूती कपड़े	45.67	87.02	341.81
24	ऊनी कपड़े	147.59	281.21	1104.59
25	रेशमी कपड़े	146.75	279.60	1098.27

26	कृत्रिम रेशम और सिनथेटिक फाइबर	300.72	572.97	2250.66
27	जूट हेमा मेस्ता कपड़े	9.27	17.67	69.39
28	सिले सिलाए कपड़े	43.96	83.76	329.02
29	अन्य कपड़े	402.30	766.52	3010.91
30	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	593.66	1521.08	5406.78
31	कागज और कागज उत्पाद	978.77	1999.96	7668.08
32	चर्म और चर्म उत्पाद	235.47	527.37	1959.96
33	रबड़ उत्पाद	129.87	230.50	928.27
34	प्लास्टिक उत्पाद	264.13	503.25	1976.79
35	पेट्रोलियम उत्पाद	1407.02	2056.48	8885.13
36	उर्वरक	524.95	1023.91	3989.32
37	कीटनाशी	84.55	164.90	642.49
38	सिन्थेटिक फाइबर और रेजिन्स	485.60	1087.59	4041.96
39	पेंट्स औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन	601.32	1228.69	4710.95
40	अन्य रसायन	3649.87	8945.15	32262.45
41	सीमेंट	2.51	5.12	19.64
42	अन्य अधात्विक खनिज	356.96	763.78	2882.69
43	लौहा और इस्पात	1396.73	2661.22	10453.40
44	अलौह धातु	925.30	1642.29	6613.87
45	ट्रेक्टर और अन्य कृषि मशीनरी	11.55	25.88	96.17
46	अन्य गैर-विद्युतीय मशीनरी	3495.70	7829.20	29096.81
47	विद्युतीय मशीनरी	2025.83	4964.93	17906.99
48	संचार और इलेक्ट्रानिक उपस्कर	3033.90	10498.49	33952.20
49	रेल उपस्कर	13.27	25.28	99.29
50	मोटर वाहन	915.67	1744.64	6853.00
51	मोटर साइकिल,स्कूटर और बाइसिकिल	0.32	0.61	2.39
52	अन्य परिवहन उपस्कर	4549.01	8667.32	34045.60
53	अन्य विनिर्माण	3125.71	6386.86	24488.00
	जोड़	**57618.00**	**122846.00**	**464214.06**